#### भाग - 111

#### हरियाणा सरकार

तकनीकी शिक्षा विभाग

#### अधिसूचना

दिनांक 12 नवम्बर, 2019

संख्या साठकाठिन 50/संवि०/अनु० 309/2019.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग (ग्रुप क) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

#### भाग I

#### सामान्य

1. (1) ये नियम हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग (ग्रुप क) सेवा नियम, 2019, कहे जा सकते संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

परिभाषाएं।

- (क) ''प्रशासनिक सचिव'' से अभिप्राय है, अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग, जैसी भी स्थिति हो:
- (ख) ''आयोग'' से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग;
- (ग) ''सीधी भर्ती'' से अभिप्राय है, सेवा में से पदोन्नित द्वारा या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई कोई नियुक्ति;
- (घ) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;
- (ड) ''संस्था'' से अभिप्राय है,-
  - (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या
  - (ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था;
- (च) ''मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय'' से अभिप्राय है,-
  - (i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या
  - (ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो;
- (छ) ''सेवा'' से अभिप्राय है, हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग (ग्रुप क) सेवा।

#### भाग II

### सेवा में भर्ती

3. सेवा में, इन नियमों के परिशिष्ट क में दर्शाए गए पद समाविष्ट होंगे:

पदों की संख्या तथा स्वरूप।

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये नियमित पद बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

4. (1) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह निम्नलिखित न हो,—

सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।

- (क) भारत का नागरिक; या
- (ख) नेपाल की प्रजा; या
- (ग) भूटान की प्रजाः

परन्तु प्रवर्ग (ख) या (ग) से संबंधित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

- (2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, उसे आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे केवल भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।
- (3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण—पत्र और दो अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके संबंधी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली—भांति परिचित हों, और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न करें।

आयु।

5. कोई व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो आयोग को आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को इक्कीस वर्ष की आयु से कम या ब्यालीस वर्ष की आयु से अधिक का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी

सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जायेगी।

योग्यताएं तथा अनुभव। 7. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट ख के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती की दशा में अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में आयोग के विवेक पर पचास प्रतिशत सीमा तब ढील दी जा सकेगी यदि अनुसूचित जातियों, पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हों, ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे।

अयोग्यताएं।

- 8. कोई भी व्यक्ति,—
  - (क) जिसने जीवित पति / पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है: या
  - (ख) जिसने पति / पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,-

#### (1) निदेशक की दशा में,-

- (i) अपर निदेशकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

### (2) अपर निदेशक की दशा में,-

- (i) प्रधानाचार्यों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

### (3) प्रधानाचार्य की दशा में,-

i) उप—प्रधानाचार्य एवं प्रशिक्षण और प्लेसमेंट अधिकारियों / विभागाध्यक्षों में से पदोन्नति द्वारा: या (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

नोट: विभागाध्यक्ष से अभिप्राय है राजकीय बहुतकनीकी में सम्बन्धित विषय में विभागाध्यक्ष के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी;

### (4) उप-प्रधानाचार्य एवं प्रशिक्षण और प्लेसमेंट अधिकारी की दशा में,-

- (i) विभागाध्यक्षों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

नोट : विभागाध्यक्ष से अभिप्राय है राजकीय बहुतकनीकी में सम्बन्धित विषय में विभागाध्यक्ष के रूप में सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी;

## (5) कृषि इंजीनियरी विभागाध्यक्ष की दशा में,-

- (i) कृषि इंजीनियरी में वरिष्ठ प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

## (6) वास्तुकला विभागाध्यक्ष की दशा में,-

- (i) वास्तुकला में वरिष्ठ प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

### (7) आटोमोबाईल इंजीनियरी विभागाध्यक्ष की दशा में,-

- (i) आटोमोबाईल इंजीनियरी में वरिष्ठ प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

#### (8) सेरेमिक इंजीनियरी विभागाध्यक्ष की दशा में,-

- (i) सेरेमिक इंजीनियरी के वरिष्ठ प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

### (9) रसायन इंजीनियरी विभागाध्यक्ष की दशा में,-

- (i) रसायन इंजीनियरी के वरिष्ठ प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

#### (10) सिविल इंजीनियरी विभागाध्यक्ष की दशा में.-

- (i) सिविल इंजीनियरी के वरिष्ठ प्राध्यापकों में से पदोन्नित द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

## (11) कम्प्यूटर इंजीनियरी विभागाध्यक्ष की दशा में,-

- (i) कम्प्यूटर इंजीनियरी के वरिष्ठ प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

### (12) इलैक्ट्रोनिक्स एवं संचार इंजीनियरी विभागाध्यक्ष की दशा में,-

(i) इलैक्ट्रोनिक्स एवं संचार इंजीनियरी में वरिष्ठ प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

## (13) इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी विभागाध्यक्ष की दशा में,-

- (i) इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी में वरिष्ठ प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

### (14) फैशन डिजाईन विभागाध्यक्ष की दशा में,-

- (i) फैशन डिजाईन के वरिष्ठ प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

#### (15) फैशन प्रौद्योगिकी विभागाध्यक्ष की दशा में.-

- (i) फैशन प्रौद्योगिकी के वरिष्ठ प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

## (16) खाद्य प्रौद्योगिकी विभागाध्यक्ष की दशा में,-

- (i) खाद्य प्रौद्योगिकी के वरिष्ठ प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

### (17) इंसटरूमैंन्टेशन तथा कन्ट्रोल इंजीनियरी विभागाध्यक्ष की दशा में,-

- (i) इंसटरूमैंन्टेशन तथा कन्ट्रोल इंजीनियरी के वरिष्ठ प्राध्यापकों में से पदोन्नित द्वारा: या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

### (18) मैकेनिकल इंजीनियरी विभागाध्यक्ष की दशा में,-

- (i) मैकेनिकल इंजीनियरी में वरिष्ठ प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

### (19) मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स विभागाध्यक्ष की दशा में,-

- (i) मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स के वरिष्ठ प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

#### (20) मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी विभागाध्यक्ष की दशा में,—

- (i) मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी के वरिष्ठ प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

### (21) प्लास्टिक प्रौद्योगिकी विभागाध्यक्ष की दशा में,-

- (i) प्लास्टिक प्रौद्योगिकी के वरिष्ठ प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

### (22) टैक्सटाईल डिजाईन विभागाध्यक्ष की दशा में,-

- (i) टैक्सटाईल डिजाईन के वरिष्ठ प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

#### (23) टैक्सटाईल प्रसंस्करण विभागाध्यक्ष की दशा में,—

- (i) टैक्सटाईल प्रसंस्करण के वरिष्ठ प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

### (24) टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी विभागाध्यक्ष की दशा में,-

- (i) टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी के वरिष्ठ प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

## (25) अनुप्रयुक्त विज्ञान विभागाध्यक्ष की दशा में,—

- (i) अनुप्रयुक्त विज्ञान के वरिष्ठ प्राध्यापकों में से पदोन्नित द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

#### (26) व्यापार प्रबन्धन विभागाध्यक्ष की दशा में,-

- व्यापार प्रबन्धन में वरिष्ठ प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

### (27) वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा विभागाध्यक्ष की दशा में,-

- (i) वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा के वरिष्ठ प्राध्यापकों में से पदोन्नित द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

#### (28) पुस्तकालय विज्ञान विभागाध्यक्ष की दशा में,-

- (i) पुस्तकालय विज्ञान के वरिष्ठ प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

### (29) कार्यालय प्रबन्धन एवं कम्प्यूटर एप्लिकेशन विभागाध्यक्ष की दशा में,-

- (i) कार्यालय प्रबन्धन एवं कम्पयूटर एप्लीकेशन के वरिष्ठ प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

### (30) फार्मेसी विभागाध्यक्ष की दशा में,-

- (i) फार्मेसी के वरिष्ठ प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

### (31) संयुक्त निदेशक की दशा में,-

(i) संयुक्त निदेशक के पद के अनुरूप वेतनमान प्राप्त करने वाले सरकारी बहुतकनीकी के ग्रुप–क अधिकारियों के स्थानान्तरण द्वारा;

### (32) कृषि इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) कृषि इंजीनियरी में प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियक्ति द्वारा;

### (33) वास्तुकला वरिष्ठ प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) वास्तुकला में प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

#### (34) आटोमोबाईल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) आटोमोबाईल इंजीनियरी में प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

### (35) सेरेमिक इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) सेरेमिक इंजीनियरी के प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

### (36) रसायन इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) रसायन इंजीनियरी के प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

### (37) सिविल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) सिविल इंजीनियरी के प्राध्यापकों में से पदोन्नित द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

### (38) कम्प्यूटर इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) कम्प्यूटर इंजीनियरी के प्राध्यापकों / प्रोग्रामरों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

### (39) इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक की दभाा में,-

- (i) इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी में प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

## (40) इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी में प्राध्यापकों में से पदोन्नित द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

### (41) फैशन डिजाईन के वरिष्ठ प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) फैशन डिजाईन के प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

### (42) फैशन प्रौद्योगिकी के वरिष्ठ प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) फैशन प्रौद्योगिकी के प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

#### (43) खाद्य प्रौद्योगिकी के वरिष्ठ प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) खाद्य प्रौद्योगिकी के प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

### (44) इंसटरूमैंन्टेशन तथा कन्ट्रोल इंजीनियरी के वरिष्ठ प्राध्यापक की दशा में,—

- (i) इंसटरूमैंन्टेशन तथा कन्ट्रोल इंजीनियरी के प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

### (45) मैकेनिकल इंजीनियरी के वरिष्ठ प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) मैकेनिकल इंजीनियरी में प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा, या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

## (46) मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स के वरिष्ठ प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स के प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

#### (47) मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी के वरिष्ठ प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी के प्राध्यापकों में से पदोन्नित द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

#### (48) प्लास्टिक प्रौद्योगिकी के वरिष्ठ प्राध्यापक की दशा में.-

- (i) प्लास्टिक प्रौद्योगिकी के प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

### (49) टैक्सटाईल डिजाईन के वरिष्ठ प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) टैक्सटाईल डिजाईन के प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

#### (50) टैक्सटाईल प्रसंस्करण के वरिष्ठ प्राध्यापक की दशा में,—

- (i) टैक्सटाईल प्रसंस्करण के प्राध्यापकों में से पदोन्नित द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

#### (51) टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी के वरिष्ठ प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी के प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

## (52) अनुप्रयुक्त विज्ञान के वरिष्ठ प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) अनुप्रयुक्त विज्ञान के प्राध्यापकों में से पदोन्नित द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

### (53) व्यापार प्रबन्धन के वरिष्ठ प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) व्यापार प्रबन्धन में प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

### (54) वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा के वरिष्ठ प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा के प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

### (55) पुस्तकालय विज्ञान के वरिष्ठ प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) पुस्तकालय विज्ञान के प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

## (56) कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर एप्लिकेशन के वरिष्ठ प्राध्यापक की दशा में,-

- (i) कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर एप्लिकेशन के प्राध्यापकों में से पदोन्नित द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

### (57) फार्मेसी के वरिष्ठ प्राध्यापक की दशा में,—

- (i) फार्मेसी के प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;

### (58) वर्कशाप अधीक्षक की दशा में,-

- (i) फोरमैन अनुदेशकों में से पदोन्नति द्वारा; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नति के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- 10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगाः

परन्तु –

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरुप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि, परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी;
- (ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले, किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि के लिए गिनने की अनुमति दी जा सकती है, और
- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई भी अवधि, पिरवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किंतु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, पिरवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, किसी नियमित रिक्त पद पर पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

परिवीक्षा ।

- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह—
  - (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और
  - (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—
    - (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या
    - (ii) उसके संबंध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें।
  - (3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—
    - (क) यदि उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को उसकी नियुक्ति की तिथि से नियमित रिक्त पद पर पुष्ट कर सकता है; या
    - (ख) यदि उसका कार्य या आचारण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,-
      - (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे सेवा से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाही कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञात करें; या
      - (ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था:

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिस में बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई हो, भी शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

अनुसार निश्चित की जायेगी : परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हो, वहां प्रत्येक संवर्ग के लिए ज्येष्ठता अलग—अलग निश्चित

सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता, सेवा में किसी भी पद पर, उसके लगातार सेवाकाल के

सेवा के सदस्यों की ज्येष्टता।

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां प्रत्येक संवर्ग के लिए ज्येष्ठता अलग—अलग निश्चित की जायेगी:

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताक्रम भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी—

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य, पदोन्नित या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा :
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य, स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ग) पदोन्नित द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्टता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्टता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नित या स्थानान्तरित किए गए थे; और
- (घ) विभिन्न संवर्गों के स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्य को दिया जायेगा जो अपनी पूर्व की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर समान हो, तो उसकी नियुक्ति में उनके सेवाकाल के अनुसार, और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य आयु में छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।
- 12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिए आदेश दिए जाने पर ऐसा करने के लिए दायी होगा।

सेवा करने का दायित्व।

- (2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिए निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्त किया जा सकता है.—
  - (i) कोई कंपनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण अथवा अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है, या हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय; या
  - (ii) केन्द्रीय सरकार या चण्डीगढ़ प्रशासन, चण्डीगढ़ या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; या
  - (iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो या गैर—सरकारी निकायः

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय की सेवा के अधीन प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले। 13. (1) वेतन, छुटटी, पेंशन तथा अन्य सभी मामलों के सम्बन्ध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी भत्ते) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (वण्ड तथा अपील) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 तथा ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा शासित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधान—मण्डल द्वारा बनाई गई उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें:

परन्तु हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के उपबंध उन सेवा के सदस्यों को लागू नहीं होगे जो प्रथम जनवरी, 2006 को या उसके बाद में नियुक्त किए गए हैं (मृत्यु एवं सेवानिवृति उपादान और अवकाश नकदीकरण को छोड़कर)।

- (2) कोई सरकारी कर्मचारी, जो सेवा या पद से सेवानिवृत होता है तो अधिवर्षिता पेंशन (किन्तु पेंशन की किसी अन्य किस्म के लिए नहीं) के लिए अर्हक सेवा में परिवर्धन करने के लिए पात्र होगा,—
  - (i) उसकी सेवा की अवधि के एक चौथाई से अनधिक वास्तविक अवधि; या
  - (ii) वास्तविक अवधि जिससे भर्ती के समय उसकी आयु पच्चीस वर्ष से अधिक होती है: या
  - (iii) पांच वर्ष की अवधि;

इनमें से जो भी कम हो, यदि वह सेवा या पद, जिसमें सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की गई है निम्नलिखित में से कोई एक है,—

- (क) जिसके लिए वैज्ञानिक / प्रौद्योगिकी या व्यवसायिक क्षेत्रों में विशिष्ट स्नातकोतर अनुसंधान या योग्यता या अनुभव अनिवार्य है; और
- (ख) जिस पर सामान्यतः पच्चीस वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवार भर्ती किए गए हैं: परन्तु यह छूट उन सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय होगी, जिनकी—
  - (i) नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की गई है और न की पदोन्नित द्वारा;
  - (ii) वास्तविक अर्हक सेवा अधिवर्षिता सेवानिवृति के समय दस वर्ष या अधिक

परन्तु उपनियम (2) के उपबन्ध उन सेवा के सदस्यों पर लागू नहीं होंगे जो प्रथम जनवरी, 2006 को या उसके पश्चात नियुक्त हुये हैं।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट छूट उसी विभाग में या किसी अन्य विभाग में किसी अन्य पद से ऐसे पद पर पश्चातवर्ती नियुक्ति को भी लागू होगीः परन्तु सरकारी कर्मचारी या तो अपनी पूर्ववर्ती अर्हक सेवा को अधिवर्षिता पेंशन के लिए हिसाब में लेने का हकदार होगा या उपनियम (2) के अधीन छूट प्राप्त करने का हकदार होगा। वह इस आशय के विकल्प का प्रयोग पद ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अविध के भीतर करेगा। एक बार विकल्प का किया गया प्रयोग अंतिम होगा।

टिप्पण.— इस नियम के अधीन छूट प्रदान करने का निर्णय प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से भर्ती की तिथि से दो वर्ष के भीतर लिया जायेगा।

**14.** (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य समय—समय पर यथा—संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016, द्वारा शासित होंगे:

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें।

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती है, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

- (2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खंड (ग) या खंड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वही होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट हैं।
- 15. सेवा का प्रत्येक सदस्य स्वयं को टीका लगवाएगा तथा जब सरकार किसी विशेष या साधारण टीका लगवाना। आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, पुनः टीका लगवाएगा।
- 16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित राजनिष्ठा की शपथ। भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।
- 17. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबंध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां ढील देने की शक्ति। वह कारण अभिलिखित करते हुए, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।
- 18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष विशेष उपबंध। निबंधन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।
- 19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात, राज्य सरकार द्वारा, इस संबंध में समय—समय पर जारी आरक्षण। किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।
- 20. हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग (ग्रुप क) सेवा नियम, 1986, इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं: निरसन तथा परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

परिशिष्ट क (देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1	निदेशक	1	एफ०पी०एल० 19, सैल 1 ₹128900/-
2	अपर निदेशक	2	एफ०पी०एल० 14, सैल 1 ₹118500/-
3	प्रधानाचार्य	17	एफ०पी०एल० 14, सैल 1 ₹118500/-
4	उप—प्रधानाचार्य एवं प्रशिक्षण और प्लेसमेंट अधिकारी	17	एफ०पी०एल० 12, सैल 1 ₹78800/-
5	कृषि इंजीनियरी विभागाध्यक्ष	1	एफ०पी०एल० 12, सैल 1 ₹78800/-
6	वास्तुकला विभागाध्यक्ष	4	एफ०पी०एल० 12, सैल 1 ₹78800/-
7	आटोमोबाईल इंजीनियरी विभागाध्यक्ष	2	एफ०पी०एल० 12, सैल 1 ₹78800/-
8	सेरेमिक इंजीनियरी विभागाध्यक्ष	1	एफ०पी०एल० 12, सैल 1 ₹78800/-
9	रसायन इंजीनियरी विभागाध्यक्ष	1	एफ०पी०एल० 12, सैल 1 ₹78800/-
10	सिविल इंजीनियरी विभागाध्यक्ष	11	एफ०पी०एल० 12, सैल 1 ₹78800/-
11	कम्प्यूटर इंजीनियरी विभागाध्यक्ष	16	एफ०पी०एल० 12, सैल 1 ₹78800/-
12	इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी विभागाध्यक्ष	12	एफ०पी०एल० 12, सैल 1 ₹78800/-
13	इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी विभागाध्यक्ष	12	एफ०पी०एल० 12, सैल 1 ₹78800/-
14	फैशन डिजाईन विभागाध्यक्ष	2	एफ०पी०एल० 12, सैल 1 ₹78800/-
15	फैशन प्रौद्योगिकी विभागाध्यक्ष	1	एफ०पी०एल० 12, सैल 1 ₹78800/-
16	खाद्य प्रौद्योगिकी विभागाध्यक्ष	1	एफ०पी०एल० 12, सैल 1 ₹78800/-
17	इंसटरूमैंन्टेशन तथा कन्ट्रोल इंजीनियरी विभागाध्यक्ष	4	एफ०पी०एल० 12, सैल 1 ₹78800/-
18	मैकेनिकल इंजीनियरी विभागाध्यक्ष	11	एफ०पी०एल० 12, सैल 1 ₹78800/-
19	मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स विभागाध्यक्ष	1	एफ०पी०एल० 12, सैल 1 ₹78800/-
20	मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी विभागाध्यक्ष	3	एफ०पी०एल० 12, सैल 1 ₹78800/-
21	प्लास्टिक प्रौद्योगिकी विभागाध्यक्ष	1	एफ०पी०एल० 12, सैल 1 ₹78800/-
22	टैक्सटाईल डिजाईन विभागाध्यक्ष	1	एफ०पी०एल० 12, सैल 1 ₹78800/-
23	टैक्सटाईल प्रसंस्करण विभागाध्यक्ष	2	एफ०पी०एल० 12, सैल 1 ₹78800/-
24	टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी विभागाध्यक्ष	2	एफ०पी०एल० 12, सैल 1 ₹78800/-
25	अनुप्रयुक्त विज्ञान विभागाध्यक्ष	17	एफ०पी०एल० 12, सैल 1 ₹78800/-
26	व्यापार प्रबन्धन विभागाध्यक्ष	5	एफ०पी०एल० 12, सैल 1 ₹78800/-

क्रम संख्या	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
27	वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा विभागाध्यक्ष	3	एफ०पी०एल० 12, सैल 1 ₹78800/-
28	पुस्तकालय विज्ञान विभागाध्यक्ष	1	एफ०पी०एल० 12, सैल 1 ₹78800/-
29	कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन विभागाध्यक्ष	3	एफ०पी०एल० 12, सैल 1 ₹78800/-
30	फार्मेसी विभागाध्यक्ष	3	एफ०पी०एल० 12, सैल 1 ₹78800/-
31	संयुक्त निदेशक	4	एफ०पी०एल० 12, सैल 1 ₹78800/-
32	कृषि इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक	1	एफ०पी०एल० 11, सैल 1 ₹67700/-
33	वास्तुकला वरिष्ठ प्राध्यापक	4	एफ०पी०एल० 11, सैल 1 ₹67700/-
34	आटोमोबाईल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक	3	एफ०पी०एल० 11, सैल 1 ₹67700/-
35	सेरेमिक वरिष्ठ प्राध्यापक	1	एफ०पी०एल० 11, सैल 1 ₹67700/-
36	रसायन इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक	1	एफ०पी०एल० 11, सैल 1 ₹67700/-
37	सिविल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक	13	एफ०पी०एल० 11, सैल 1 ₹67700/-
38	कम्प्यूटर इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक	20	एफ०पी०एल० 11, सैल 1 ₹67700/-
39	इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक	13	एफ०पी०एल० 11, सैल 1 ₹67700/-
40	इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक	12	एफ०पी०एल० 11, सैल 1 ₹67700/-
41	फैशन डिजाईन वरिष्ठ प्राध्यापक	2	एफ०पी०एल० 11, सैल 1 ₹67700/-
42	फैशन प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक	1	एफ०पी०एल० 11, सैल 1 ₹67700/-
43	खाद्य प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक	1	एफ०पी०एल० 11, सैल 1 ₹67700/-
44	इंसटरूमैंन्टेशन तथा कन्ट्रोल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक	4	एफ०पी०एल० 11, सैल 1 ₹67700/-
45	मैकेनिकल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक	18	एफ०पी०एल० 11, सैल 1 ₹67700/-
46	मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स वरिष्ठ प्राध्यापक	1	एफ०पी०एल० 11, सैल 1 ₹67700/-
47	मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक	3	एफ०पी०एल० 11, सैल 1 ₹67700/-
48	प्लास्टिक प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक	1	एफ०पी०एल० 11, सैल 1 ₹67700/-
49	टैक्सटाईल डिजाईन वरिष्ठ प्राध्यापक	1	एफ०पी०एल० 11, सैल 1 ₹67700/-
50	टैक्सटाईल प्रसंस्करण वरिष्ठ प्राध्यापक	2	एफ०पी०एल० 11, सैल 1 ₹67700/-
51	टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक	2	एफ०पी०एल० 11, सैल 1 ₹67700/-
52	अनुप्रयुक्त विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक	22	एफ०पी०एल० 11, सैल 1 ₹67700/-
53	व्यापार प्रबन्धन वरिष्ठ प्राध्यापक	5	एफ०पी०एल० 11, सैल 1 ₹67700/-

क्रम संख्या	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
54	वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा वरिष्ठ प्राध्यापक	3	एफ०पी०एल० 11, सैल 1 ₹67700/-
55	पुस्तकालय विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक	1	एफ०पी०एल० 11, सैल 1 ₹67700/-
56	कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन वरिष्ठ प्राध्यापक	3	एफ०पी०एल० 11, सैल 1 ₹67700/-
57	फार्मेसी वरिष्ठ प्राध्यापक	3	एफ०पी०एल० 11, सैल 1 ₹67700/-
58	वर्कशाप अधीक्षक	7	एफ०पी०एल० 10, सैल 1 ₹56100/-

# परिशिष्ट ख (देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	निदेशक		पदोन्नित द्वारा— अपर निदेशक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।
			स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–
			(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;
			या
			किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से फार्मेसी या पुस्तकालय विज्ञान या वाणिज्य या व्यापार प्रशासन या प्रबन्धन या फैशन या टैक्सटाईल या अनुप्रयुक्त विज्ञान में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि;
			(ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव;
			या
			किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सहबद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद बीस वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव, जिसमें से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के प्रधानाचार्य के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो; तथा
			(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
2	अपर निदेशक		पदोन्नति द्वारा–
			राजकीय बहुतकनीकी के प्रधानाचार्य के रूप में तीन वर्ष का अनुभव;
			स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–
			(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात स्नातक या स्नातकोत्तर में से किसी एक उपाधि में प्रथम श्रेणी हो;
			या
			किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से फार्मेसी या पुस्तकालय विज्ञान या वाणिज्य या व्यापार प्रशासन या प्रबन्धन या फैशन या टैक्सटाईल या

		अनुप्रयुक्त विज्ञान में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि;
		(ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव;
		या
		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सहबद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद पन्द्रह वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव, जिसमें से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के प्रधानाचार्य के रूप में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो; तथा
		(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
3	प्रधानाचार्य	पदोन्नति द्वारा–
		राजकीय बहुतकनीकी के उप—प्रधानाचार्य एवं प्रशिक्षण और प्लेसमेंट अधिकारी / विभागाध्यक्ष के रूप में पांच वर्ष का संयुक्त अनुभव।
		स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा –
		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;
		या
		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से फार्मेसी या पुस्तकालय विज्ञान या वाणिज्य या व्यापार प्रशासन या प्रबन्धन या फैशन या टैक्सटाईल या अनुप्रयुक्त विज्ञान में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि;
		(ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव; या
		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद बारह वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव, जिसमें से राजकीय बहुतकनीकी के उप—प्रधानाचार्य एवं प्रशिक्षण और प्लेसमेंट अधिकारी / विभागाध्यक्ष के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो; तथा
		(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
4	उप–प्रधानाचार्य एवं	पदोन्नति द्वारा–
	प्रशिक्षण और प्लेसमेंट अधिकारी	राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों के विभागाध्यक्ष के रूप में एक वर्ष का अनुभव।
		स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–
		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित

5	किष दंजीनियरी	स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;  या  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से फार्मेसी या पुस्तकालय विज्ञान या वाणिज्य या व्यापार प्रशासन या प्रबन्धन या फेशन या टैक्सटाईल या अनुप्रयुक्त विज्ञान में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि;  (ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव;  या  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद बारह वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव, जिसमें से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के विभागाध्याक्ष के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो; तथा  (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
5	कृषि इंजीनियरी विभागाध्यक्ष	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के कृषि इंजीनियरी में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष का अनुभव;  या राजकीय बहुतकनीकी के कृषि इंजीनियरी में वरिष्ठ प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के रूप में आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव; स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कृषि इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; (ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव;  या  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान या तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय/राज्य राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के कृषि इंजीनियरी में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद आठ वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव, जिसमें से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान की कृषि इंजीनियरी में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो; तथा  (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।

6	वास्तुकला विभागाध्यक्ष	पदोन्नति द्वारा–
	9	राजकीय बहुतकनीकी के वास्तुकला में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष का अनुभव;
		या
		राजकीय बहुतकनीकी के वास्तुकला में वरिष्ठ प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के रूप में आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव हो।
		स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–
		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से वास्तुकला में प्रथम श्रेणी सहित रनातक और स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;
		(ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव;
		या
		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के वास्तुकला में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद आठ वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव, जिसमें से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के वास्तुकला में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो; तथा
		(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक वि ाय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
7	आटोमोबाईल इंजीनियरी	पदोन्नति द्वारा–
	विभागाध्यक्ष	राजकीय बहुतकनीकी के आटोमोबाईल इंजीनियरी में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष का अनुभव;
		या
		राजकीय बहुतकनीकी के आटोमोबाईल इंजीनियरी में वरिष्ठ प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के रूप में आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव हो।
		स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–
		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से आटोमोबाईल इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;
		या
		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से मकैनिकल में इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी, जिसमें ऑटोमोबाईल इंजीनियरी का विषय हो, में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और ऑटोमोबाईल इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;

		(ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव; —
		या  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के आटोमोबाईल इंजीनियरी में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद आठ वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव, जिसमें से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के आटोमोबाईल इंजीनियरी में विरष्ठ प्राध्यापक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो; तथा  (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
8	सेरेमिक इंजीनियरी	पदोन्नति द्वारा–
	विभागाध्यक्ष	राजकीय बहुतकनीकी के सेरेमिक इंजीनियरी में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष का अनुभव,
		या
		राजकीय बहुतकनीकी के सेरेमिक इंजीनियरी में वरिष्ठ प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के रूप में आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव हो।
		स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–
		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से सेरेमिक इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;
		(ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव; —
		या
		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के सेरेमिक इंजीनियरी में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद आठ वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव, जिसमें से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के सेरेमिक इंजीनियरी में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो; तथा
		(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
9	रसायन इंजीनियरी	पदोन्नति द्वारा–
	विभागाध्यक्ष	राजकीय बहुतकनीकी के रसायन इंजीनियरी में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष का अनुभव;
		या
		राजकीय बहुतकनीकी के रसायन इंजीनियरी में वरिष्ठ प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के रूप में आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव हो।

		स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–
		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से रसायन इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;
		(ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव;
		या
		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के रसायन इंजीनियरी में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद आठ वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव, जिसमें से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के रसायन इंजीनियरी में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो; तथा
		(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
10	सिविल इंजीनियरी विभागाध्यक्ष	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के सिविल इंजीनियरी में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष का अनुभव;
		या
		राजकीय बहुतकनीकी के सिविल इंजीनियरी में वरिष्ठ प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के रूप में आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव हो।
		स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–
		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से सिविल इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;
		(ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव; या
		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के सिविल इंजीनियरी में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद आठ वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव, जिसमें से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के सिविल इंजीनियरी में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
11	कम्प्यूटर इंजीनियरी विभागाध्यक्ष	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के कम्प्यूटर इंजीनियरी में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष का अनुभव,

		या
		राजकीय बहुतकनीकी के कम्प्यूटर इंजीनियरी में वरिष्ठ प्राध्यापक तथा प्राध्यापक / प्रोग्रामर के रूप में आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव हो।
		स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–
		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर इंजीनियरी या कम्प्यूटर साईंस में इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;
		(ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव;
		या
		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के कम्प्यूटर इंजीनियरी में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद आठ वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव, जिसमें से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के कम्प्यूटर इंजीनियरी में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो; तथा
		(iii) मैट्रिक या उच्चतर भिक्षा में एक विशय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
12	इलैक्ट्रोनिक्स तथा	पदोन्नति द्वारा–
	संचार इंजीनियरी विभागाध्यक्ष	राजकीय बहुतकनीकी के इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष का अनुभव;
		या
		राजकीय बहुतकनीकी के इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी में वरिष्ठ प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के रूप में आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव हो।
		स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–
		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी तथा इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियरी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;
		(ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव;
		या
		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी में प्राध्यापक

		के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद आठ वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव, जिसमें से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो; तथा  (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
13	इलेक्ट्रीकल इंजीनियरी विभागाध्यक्ष	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष का अनुभव;  या राजकीय बहुतकनीकी के इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी में वरिष्ठ प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के रूप में आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव हो। रथानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित रनातक और रनातकोत्तर उपाधि, अर्थात रनातक या रनातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; (ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव;  या  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद आठ वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव, जिसमें से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो; तथा  (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में
14	फेशन डिजाईन विभागाध्यक्ष	हिन्दी या संस्कृत।  पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के फैशन डिजाईन में विष्ठ प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष का अनुभव,  या राजकीय बहुतकनीकी के फैशन डिजाईन में विष्ठ प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के रूप में आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव हो।  स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से फैशन प्रौद्योगिकी/फैशन डिजाईन/वस्त्र प्रौद्योगिकी/फैशन तथा परिधान डिजाईन/ परिधान इंजीनियरी, इंजीनियरी प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक

		और स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;  (ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव;  या  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के फेशन डिजाईन में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद आठ वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव, जिसमें से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के फेशन डिजाईन में विरष्ठ प्राध्यापक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो; तथा  (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
15	फेशन प्रौद्योगिकी विभागाध्यक्ष	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के फैशन प्रौद्योगिकी में विरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष का अनुभव,  या राजकीय बहुतकनीकी के फैशन प्रौद्योगिकी में विरिष्ठ प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के रूप में आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव हो। स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से फैशन प्रौद्योगिकी/फैशन डिजाईन/परिधान इंजीनियरी, या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि विश्वविद्यालय/संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के फैशन प्रौद्योगिकी में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद आठ वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव, जिसमें से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के फैशन प्रौद्योगिकी में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
16	खाद्य प्रौद्योगिकी विभागाध्यक्ष	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के खाद्य प्रौद्योगिकी में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष का अनुभव, या

			राजकीय बहुतकनीकी के खाद्य प्रौद्योगिकी में वरिष्ठ प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के रूप में आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव हो।
			स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रंसस्करण तथा प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;
			या  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रथम श्रेणी में खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रंसस्करण तथा प्रौद्योगिकी विज्ञान में स्नातक में उपाधि और खाद्य प्रौद्योगिकी/ खाद्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी /खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रौद्योगिकी के विशय में एन.ई.टी./पी.एच.डी;
			(ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव; या
			किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के खाद्य प्रौद्योगिकी में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद आठ वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव, जिसमें से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के खाद्य प्रौद्योगिकी में विरष्ठ प्राध्यापक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो; तथा
			(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
17	इंसटरूमेन्टेशन तथा कन्ट्रोल इंजीनियरी विभागाध्यक्ष		पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के इंसटरूमेन्टेशन तथा कन्ट्रोल इंजीनियरी में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष का अनुभव,
		या राजकीय बहुतकनीकी के इंसटरूमेन्टेशन तथा कन्ट्रोल इंजीनियरी में वरिष्ठ प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के रूप में आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव हो।	
			स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—  (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंसटरूमेन्टेशन तथा कन्ट्रोल इंजीनियरी/ इलैक्ट्रोनिक्स तथा इंसटरूमेन्टेशन इलैक्ट्रोनिक्स/ अनुप्रयुक्त इलैक्ट्रोनिक्स तथा इंसटरूमेन्टेशन इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;

		(ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव;
		या
		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के इंसटरूमेन्टेशन तथा कन्ट्रोल इंजीनियरी में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद आठ वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव, जिसमें से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के इंसटरूमेन्टेशन तथा कन्ट्रोल इंजीनियरी में विरष्ठ प्राध्यापक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
18	मैकेनिकल इंजीनियरी	पदोन्नति द्वारा–
	विभागाध्यक्ष े	राजकीय बहुतकनीकी के मैकेनिकल इंजीनियरी में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष का अनुभव;
		या
		राजकीय बहुतकनीकी के मैकेनिकल इंजीनियरी में वरिष्ठ प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के रूप में आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव हो।
		स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–
		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से मैकेनिकल / उत्पादन इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि, में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;
		(ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव;
		या
		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के मैकेनिकल इंजीनियरी में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद आठ वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव, जिसमें से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के मैकेनिकल इंजीनियरी में विरष्ठ प्राध्यापक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो; तथा  (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
19	मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स	पदोन्नति द्वारा–
	विभागाध्यक्ष	राजकीय बहुतकनीकी के मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; या
		राजकीय बहुतकनीकी के मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स में वरिष्ठ प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के रूप में आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव हो।

		स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—
		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स/बायोमैडिकल इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;
		(ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव; या
		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद आठ वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव, जिसमें से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स में विरष्ट प्राध्यापक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो; तथा
		(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
20	मैडिकल प्रयोगभााला प्रौद्योगिकी विभागाध्यक्ष	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष का अनुभव;
		या
		राजकीय बहुतकनीकी के मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में वरिष्ठ प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के रूप में आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव हो।
		स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—
		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी/बायोमैडिकल इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;
		(ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव; या
		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद आठ वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव, जिसमें से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो; तथा
		(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।

21	प्लास्टिक प्रौद्योगिकी विभागाध्यक्ष	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के प्लास्टिक प्रौद्योगिकी में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; या
		राजकीय बहुतकनीकी के प्लास्टिक प्रौद्योगिकी में वरिष्ठ प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के रूप में आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव हो।
		स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–
		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्लास्टिक इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;
		(ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव;
		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के प्लास्टिक प्रौद्योगिकी में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद आठ वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव, जिसमें से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के प्लास्टिक प्रौद्योगिकी में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो; तथा
		(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
22	टैक्सटाईल डिजाईन	पदोन्नति द्वारा–
	विभागाध्यक्ष	राजकीय बहुतकनीकी के टैक्सटाईल डिजाईन में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष का अनुभव,
		या
		राजकीय बहुतकनीकी के टैक्सटाईल डिजाईन में वरिष्ठ प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के रूप में आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव हो।
		स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–
		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से टैक्सटाईल डिजाईन इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;
		(ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव;
		या
		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के टैक्सटाईल डिजाईन में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद आठ वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव,

		जिसमें से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के टैक्सटाईल डिजाईन में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
23	टैक्सटाईल प्रसंस्करण विभागाध्यक्ष	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के टैक्सटाईल प्रसंस्करण में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष का अनुभव;
		या राजकीय बहुतकनीकी के टैक्सटाईल प्रसंस्करण में वरिष्ठ प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के रूप में आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव हो।
		स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–
		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से टैक्सटाईल प्रसंस्करण / टैक्सटाईल रसायन इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;
		(ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव;
		या
		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के टैक्सटाईल प्रसंस्करण में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद आठ वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव, जिसमें से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के टैक्सटाईल प्रसंस्करण में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो; तथा
		(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
24	टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी विभागाध्यक्ष	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; या
		पा राजकीय बहुतकनीकी के टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी में वरिष्ठ प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के रूप में आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव हो।
		स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–
		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;

		(ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव;
		या
		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद आठ वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव, जिसमें से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी में विष्ठ प्राध्यापक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो; तथा
		हिन्दी या संस्कृत।
25	अनुप्रयुक्त विज्ञान विभागाध्यक्ष	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के अनुप्रयुक्त विज्ञान में विरष्ट प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; या राजकीय बहुतकनीकी के अनुप्रयुक्त विज्ञान में विरष्ट प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के रूप में आठ वर्ष का संयुक्त
		अनुभव हो। <b>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा</b> —  (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से प्रथम
		(1) किसी नान्यतात्रापि विश्वविधालय सिखा से प्रथम श्रेणी में अनुप्रयुक्त विज्ञान (भौतिक / रसायन / गणित) कला (अंग्रेजी) में स्नातकोत्तर की उपाधि और अनुप्रयुक्त विज्ञान के सम्बन्धित विषय (भौतिक / रसायन / गणित / अंग्रेजी) में एन.ई.टी. / पी.एच.डी. की उपाधि;
		(ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के अनुप्रयुक्त विज्ञान में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद आठ वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव, जिसमें से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के अनुप्रयुक्त विज्ञान में विरष्ठ प्राध्यापक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो; तथा
		(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
26	व्यापार प्रबन्धन विभागाध्यक्ष	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के व्यापार प्रबन्धन में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; या
		राजकीय बहुतकनीकी के व्यापार प्रबन्धन में वरिष्ठ प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के रूप में आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव हो।

		स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–
		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से व्यापार प्रबन्धन/व्यापार प्रशासन में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि सहित व्यापार प्रबन्धन/व्यापार प्रभासन के विषय में एन.ई.टी./पी.एच.डी. हो;
		(ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव;
		या
		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के व्यापार प्रबन्धन में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद आठ वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव, जिसमें से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के व्यापार प्रबन्धन में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो; तथा
		(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
27	वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा विभागाध्यक्ष	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; या
		राजकीय बहुतकनीकी के वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा में वरिष्ठ प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के रूप में आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव हो।
		स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से वाणिज्य / व्यापार प्रभाासन (फाईनैंस) में प्रथम श्रेणी में रनातकोत्तर उपाधि सहित वाणिज्य / व्यापार प्रभाासन (फाईनैंस) के विषय में एन.ई.टी. / पी.एच.डी. हो;
		(ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव; या
		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद आठ वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव, जिसमें से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो; तथा
		(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
28	पुस्तकालय विज्ञान विभागाध्यक्ष	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के पुस्तकालय विज्ञान में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष का अनुभव;

		या
		राजकीय बहुतकनीकी के पुस्तकालय विज्ञान में वरिष्ठ प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के रूप में आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव हो।
		स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–
		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पुस्तकालय विज्ञान/पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि सहित पुस्तकालय विज्ञान/पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के विषय में एन.ई.टी./पी.एच.डी. हो;
		(ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव;
		या
		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के पुस्तकालय विज्ञान में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद आठ वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव, जिसमें से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के पुस्तकालय विज्ञान में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो; तथा
		(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
		C
29	कार्यालय प्रबन्धन तथा	पदोन्नति द्वारा–
29	कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन विभागाध्यक्ष	<u> </u>
29	कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष का
29	कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष का अनुभव;
29	कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन में विरष्ट प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष का अनुभव;  या राजकीय बहुतकनीकी के कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन में विरष्ठ प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के रूप में
29	कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन में विरष्ट प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष का अनुभव;  या राजकीय बहुतकनीकी के कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन में विरष्ट प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के रूप में आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव हो।
29	कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन में विरष्ट प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष का अनुभव;  या राजकीय बहुतकनीकी के कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन में विरष्ट प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के रूप में आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव हो। स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वाणिज्य / व्यापार प्रबन्धन या व्यापार प्रशासन में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि सहित वाणिज्य/व्यापार प्रबन्धन या व्यापार प्रशासन के
29	कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन में विरष्ट प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष का अनुभव;  या राजकीय बहुतकनीकी के कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन में विरष्ट प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के रूप में आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव हो। स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वाणिज्य /व्यापार प्रबन्धन या व्यापार प्रशासन में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि सहित वाणिज्य/व्यापार प्रबन्धन या व्यापार प्रशासन के विषय में एन.ई.टी./पी.एच.डी. हो; (ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव;
29	कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन में विरष्ट प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष का अनुभव;  या राजकीय बहुतकनीकी के कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन में विरष्ट प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के रूप में आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव हो। स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वाणिज्य / व्यापार प्रबन्धन या व्यापार प्रशासन में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि सहित वाणिज्य / व्यापार प्रबन्धन या व्यापार प्रशासन के विषय में एन.ई.टी. / पी.एच.डी. हो; (ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव;

		राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
30	फार्मेसी विभागाध्यक्ष	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के फार्मेसी में वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; या
		राजकीय बहुतकनीकी के फार्मेसी में वरिष्ठ प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के रूप में आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव हो।
		स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–
		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से कार्यालय फार्मेसी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;
		(ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव;
		या
		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के फार्मेसी में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद आठ वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव, जिसमें से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के फार्मेसी में विरष्ठ प्राध्यापक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो; तथा
		(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
31	संयुक्त निदेशक	स्थानान्तरण द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी में संयुक्त निदेशक के अनुरूप वेतनमान वाले ग्रुप क के पद का तीन वर्ष का अनुभव।
32	कृषि इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के कृषि इंजीनियरी में प्राध्यापक के पद पर छह वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से कृषि इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;
		(ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव;
		या
		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय/

		राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के कृषि इंजीनियरी में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद छह वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव हो; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
33	वास्तुकला वरिष्ठ प्राध्यापक	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के वास्तुकला में प्राध्यापक के पद पर छह वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वास्तुकला में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; (ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के वास्तुकला में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद छह वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव हो; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
34	आटोमोबाईल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के आटोमोबाईल इंजीनियरी में प्राध्यापक के पद पर छह वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आटोमोबाईल इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; या  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से मकैनिकल इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि जिसमें ऑटोमोबाईल इंजीनियरी एक विषय के रूप में हो और ऑटोमोबाईल इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; (ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव; या  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय/ राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के

		आटोमोबाईल इंजीनियरी में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद छह वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव हो; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
35	सेरेमिक इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के सेरेमिक इंजीनियरी में प्राध्यापक के पद पर छह वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से सेरेमिक इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; (ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव; या  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के सेरेमिक इंजीनियरी में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद छह वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव हो; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
36	रसायन इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के रसायन इंजीनियरी में प्राध्यापक के पद पर छह वर्ष का अनुभव।  स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से रसायन इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; (ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव; या  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के रसायन इंजीनियरी में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद छह वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव हो; तथा  (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।

37	सिविल इंजीनियरी	पदोन्नति द्वारा–
	वरिष्ठ प्राध्यापक	राजकीय बहुतकनीकी के सिविल इंजीनियरी में प्राध्यापक के पद पर छह वर्ष का अनुभव।
		स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–
		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से सिविल इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;
		(ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव;
		या
		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के सिविल इंजीनियरी में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद छह वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव हो; तथा
		(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
38	कम्प्यूटर इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के कम्प्यूटर इंजीनियरी में प्राध्यापक/ प्रोग्नामर के पद पर छह वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर इंजीनियरी या कम्प्यूटर साईंस तथा इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; (ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के कम्प्यूटर इंजीनियरी में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद छह वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव हो; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
39	इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी में प्राध्यापक के पद पर छह वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—
		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी

		तथा इलैक्ट्रोनिक्स इंजीनियरी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;  (ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव;  या  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद छह वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव हो; तथा  (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
40	इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी में प्राध्यापक के पद पर छह वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; (ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव; या  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय/ राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद छह वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव हो; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
41	फैशन डिजाईन वरिष्ठ प्राध्यापक	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के फैशन डिजाईन में प्राध्यापक के पद पर छह वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से फैशन प्रौद्योगिकी/फैशन डिजाईन/वस्त्र प्रौद्योगिकी/फैशन तथा परिधान डिजाईन, परिधान इंजीनियरी, इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;

			(ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव;
			या
			किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के फैशन डिजाईन में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद छह वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव, जिसमें से राजकीय बहुतकनीकी की फैशन डिजाईन के विरष्ट प्राध्यापक के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव हो; तथा
			(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
42	फैशन प्रौद्योगिकी वरिष्ठ		पदोन्नति द्वारा–
	प्राध्यापक		राजकीय बहुतकनीकी के फैशन प्रौद्योगिकी में प्राध्यापक के पद पर छह वर्ष का अनुभव।
			स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–
			(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से फैशन प्रौद्योगिकी / फैशन डिजाईन / वस्त्र प्रौद्योगिकी / फैशन तथा परिधान डिजाईन / परिधान इंजीनियरी, इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;
			(ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव;
			या
			किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के फैशन प्रौद्योगिकी में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद छह वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव हो; तथा
			(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
43	खाद्य प्रौद्योगिकी वरिष्ठ		पदोन्नति द्वारा–
	प्राध्यापक	ाध्यापक	राजकीय बहुतकनीकी के खाद्य प्रौद्योगिकी में प्राध्यापक के पद पर छह वर्ष का अनुभव।
			स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–
			(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रंसस्करण तथा प्रौद्योगिकी में इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;
			या

		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रंसस्करण तथा प्रौद्योगिकी विज्ञान में प्रथम श्रेणी सिहत स्नातकोत्तर उपाधि और खाद्य प्रौद्योगिकी/खाद्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी/खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रौद्योगिकी के विषय में एन.ई.टी./पी.एच.डी हो; तथा  (ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव; या  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के खाद्य प्रौद्योगिकी में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद छह वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव हो;  (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
44	इंसटरूमेन्टेशन तथा कन्ट्रोल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के इंसटरूमेन्टेशन तथा कन्ट्रोल इंजीनियरी में प्राध्यापक के पद पर छह वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंसटरूमेन्टेशन तथा कन्ट्रोल इंजीनियरी/इलैक्ट्रोनिक्स तथा इन्सटरूमेन्टेशन इलैक्ट्रोनिक्स/अनुप्रयुक्त इलैक्ट्रोनिक्स तथा इन्सटरूमेन्टेशन इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; (ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के इंसटरूमेन्टेशन तथा कन्ट्रोल इंजीनियरी में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद छह वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव हो; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
45	मैकेनिकल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के मैकेनिकल इंजीनियरी में प्राध्यापक के पद पर छह वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से मैकेनिकल/उत्पादन में इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर

		उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से
		किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;
		(ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव;
		या
		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के मैकेनिकल इंजीनियरी में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद छह वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव हो; तथा
		(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
46	मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स	पदोन्नति द्वारा–
	वरिष्ठ प्राध्यापक	राजकीय बहुतकनीकी के मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स में प्राध्यापक के पद पर छह वर्ष का अनुभव।
		स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–
		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स/बायोमैडिकल इंजीनियरी में, इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि, में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;
		(ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव;
		या  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद छह वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव हो; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
47	मैडिकल प्रयोगभााला	 पदोन्नति द्वारा–
	प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक	राजकीय बहुतकनीकी के मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में प्राध्यापक के पद पर छह वर्ष का अनुभव।
		स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—
		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी/बायोमैडिकल इंजीनियरी में, इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; (ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव; या

		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद छह वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव हो; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
48	प्लास्टिक प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के प्लास्टिक प्रौद्योगिकी में प्राध्यापक के पद पर छह वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—  (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्लास्टिक इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सिहत स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;  (ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव;  या  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के प्लास्टिक प्रौद्योगिकी में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद छह वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव हो; तथा  (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
49	टैक्सटाईल डिजाईन वरिष्ठ प्राध्यापक	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के टैक्सटाईल डिजाईन में प्राध्यापक के पद पर छह वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से टैक्सटाईल डिजाईन में इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो; (ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था या राजकीय/ राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के टैक्सटाईल डिजाईन में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद छह वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव हो; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।

50	टैक्सटाईल प्रसंस्करण वरिष्ठ प्राध्यापक	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के टैक्सटाईल प्रसंस्करण में प्राध्यापक के पद पर छह वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से टैक्सटाईल प्रसंस्करण/टैक्सटाईल रसायन में इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;
		(ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव; या  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के टैक्सटाईल प्रसंस्करण में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद छह वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव हो; तथा  (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
51	टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी में प्राध्यापक के पद पर छह वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—  (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी या इंजीनियरी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि, अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;  (ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव;  या  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय/ राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद छह वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव हो; तथा  (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
52	अनुप्रयुक्त विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के अनुप्रयुक्त विज्ञान में प्राध्यापक के पद पर छह वर्ष का अनुभव।

		स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–	
		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्य (भौतिक / रसायन / गणित) प्रथम श्रेणी में रनातकोत्त अनुप्रयुक्त विज्ञान के (भौतिक / रसायन / गणित / उ पी.एच.डी. हो; (ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से राजकीय सहायता प्राप्त ब अनुप्रयुक्त विज्ञान में प्राध्याप नियुक्ति के बाद छह वर्ष व अनुभव हो; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी या संस्कृत।	या कला (अंग्रेजी) में र की उपाधि सहित सम्बन्धित विषय अंग्रेजी) में एन.ई.टी. / नियमित अनुभव; गलय / संस्था या राज्य सम्बद्ध राजकीय / हुतकनीकी संस्थान के क पद पर नियमित जा पूर्णकालिक अध्यापन
53	व्यापार प्रबन्धन वरिष्ठ प्राध्यापक	<b>पदोन्नति द्वारा</b> — राजकीय बहुतकनीकी के व्यापार प्र	बन्धन में प्राध्यापक के
		पद पर छह वर्ष का अनुभव।	
		स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा—  (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्य प्रबन्धन / व्यापार प्रशासन स्नातकोत्तर उपाधि सहित प्रशासन के विषय में एन.ई.र्ट (ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से राजकीय सहायता प्राप्त ब व्यापार प्रबन्धन में प्राध्यापव नियुक्ति के बाद छह वर्ष व अनुभव हो; तथा  (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी या संस्कृत।	में प्रथम श्रेणी में व्यापार प्रबन्धन/व्यापार है. / पी.एच.डी. हो; नियमित अनुभव; जालय/संस्था या राज्य हितकनीकी संस्थान के के पद पर नियमित हा पूर्णकालिक अध्यापन
54	वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा वरिष्ठ प्राध्यापक	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के वित्त लेख प्राध्यापक के पद पर छह वर्ष का अ स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विष्ट् वाणिज्य / व्यापार प्रशासन ( में स्नातकोत्तर उपाधि स् प्रशासन (फाईनैंस) के पी.एच.डी. हो; (ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का	नुभव। विवद्यालय / संस्था से फाईनैंस) में प्रथम श्रेणी मिहत वाणिज्य / व्यापार विषय में एन.ई.टी. /

		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद छह वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव हो; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
55	पुस्तकालय विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी के पुस्तकालय विज्ञान में प्राध्यापक के पद पर छह वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से पुस्तकालय विज्ञान/पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि सहित पुस्तकालय विज्ञान/पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के विषय में एन.ई.टी./पी.एच.डी. हो; (ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव; या  किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के पुस्तकालय विज्ञान में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद छह वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव हो; तथा  (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में
56	कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन वरिष्ठ प्राध्यापक	पदोन्नित द्वारा— राजकीय बहुतकनीकी में कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन में प्राध्यापक के पद पर छह वर्ष का अनुभव। स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वाणिज्य/व्यापार प्रबन्धन या व्यापार प्रशासन में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि सहित वाणिज्य/व्यापार प्रबन्धन या व्यापार प्रशासन के विषय में एन.ई.टी./पी.एच.डी. हो; (ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय/राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद छह वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव हो; तथा (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।

57	फार्मेसी वरिष्ठ प्राध्यापक	पदोन्नति द्वारा–		
		राजकीय बहुतकनीकी के फार्मेसी में प्राध्यापक के पद पर		
		छह वर्ष का अनुभव।		
		स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–		
		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से फार्मेसी में प्रथम श्रेणी सहित स्नातक और स्नातकोत्तर उपाधि अर्थात् स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में से किसी एक में प्रथम श्रेणी हो;		
		(ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव;		
		या		
		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान के फार्मेसी में प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद छह वर्ष का पूर्णकालिक अध्यापन अनुभव हो; तथा		
		(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।		
58	वर्कशाप अधीक्षक	पदोन्नति द्वारा–		
		राजकीय बहुतकनीकी के फोरमैन अनुदेशक के पद पर आठ		
		वर्ष का अनुभव।		
		स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–		
		(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से मैकेनिकल / आटोमोबाईल / उत्पादन इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में उपाधि;		
		(ii) अनुरूप पद पर तीन वर्ष का नियमित अनुभव;		
		या		
		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था या राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध राजकीय / राजकीय सहायता प्राप्त बहुतकनीकी संस्थान में फोरमैन अनुदेशक के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद आठ वर्ष का पूर्णकालिक अनुभव हो; तथा		
		(iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।		

### टिप्पणः

- 1. ''अनुभव''— इसमें यथा प्रयुक्त ''अनुभव'' शब्द, पदोन्नित के संदर्भ में, से अभिप्राय होगा, पद पर नियमित नियुक्ति के बाद तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा में की गई सेवा;
- 2. ''उच्चतर योग्यता'' से अभिप्राय है, किसी अध्यापन संकाय के सदस्य द्वारा या सेवा के किसी सदस्य द्वारा पद जिसके विरूद्ध वह प्रारम्भ में नियुक्त किया गया था, के लिए विहित न्यूनतम अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताओं से भिन्न अर्जित उच्चतर योग्यता, यदि उसी लाइन में कोई व्यक्ति पद के लिए न्यूनतम अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से उच्चतर योग्यता सहित पद पर प्रारम्भ में नियुक्त किया गया है, तो उस मामले में उच्चतर योग्यता से अभिप्राय है, उसी लाइन में आगामी उच्चतर योग्यता;
- 3. ''शैक्षणिक योग्यता'' इन नियमों में विशेष रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाए शैक्षणिक योग्यता से अभिप्राय है, किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से अध्ययन की नियमित पद्धति के माध्यम से अर्जित स्नातक / स्नातकोत्तर उपाधि तथा डिप्लोमा।
- 4. यदि कोई उम्मीदवार उसी लाईन में उच्चतर योग्यता रखता है जो किसी विशेष पद के लिए लागू न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं में विहित है, तो उसे उस पद के पात्र के रूप में समझा जाना चाहिए।

परिशिष्ट ग [*देखिए नियम 14 (1)*]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्परूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1	निदेशक	सरकार	(I) लघु शास्तियां	सरकार
2	अपर निदेशक		हरियाणा सिविल	
3	प्रधानाचार्य		सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016	
4	उप—प्रधानाचार्य तथा प्रशिक्षण और प्लेसमेंट अधिकारी		में यथा विहित;	
5	कृषि इंजीनियरी विभागाध्यक्ष		(II) बड़ी शास्तियां	
6	वास्तुकला विभागाध्यक्ष		हरियाणा सिविल	
7	आटोमोबाईल इंजीनियरी विभागाध्यक्ष		सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016	
8	सेरेमिक इंजीनियरी विभागाध्यक्ष		में यथा विहित;	
9	रसायन इंजीनियरी विभागाध्यक्ष		,	
10	सिविल इंजीनियरी विभागाध्यक्ष			
11	कम्प्यूटर इंजीनियरी विभागाध्यक्ष			
12	इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी विभागाध्यक्ष			
13	इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी विभागाध्यक्ष			
14	फैशन डिजाईन विभागाध्यक्ष			
15	फैशन प्रौद्योगिकी विभागाध्यक्ष			
16	खाद्य प्रौद्योगिकी विभागाध्यक्ष			
17	इंसटरूमैंन्टेशन तथा कन्ट्रोल इंजीनियरी विभागाध्यक्ष			
18	मैकेनिकल इंजीनियरी विभागाध्यक्ष			
19	मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स विभागाध्यक्ष			
20	मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी विभागाध्यक्ष			
21	प्लास्टिक प्रौद्योगिकी विभागाध्यक्ष			
22	टैक्सटाईल डिजाईन विभागाध्यक्ष			
23	टैक्सटाईल प्रसंस्करण विभागाध्यक्ष			
24	टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी विभागाध्यक्ष			
25	अनुप्रयुक्त विज्ञान विभागाध्यक्ष			
26	व्यापार प्रबन्धन विभागाध्यक्ष			
27	वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा विभागाध्यक्ष			
28	पुस्तकालय विज्ञान विभागाध्यक्ष			
29	कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन विभागाध्यक्ष			
30	फार्मेसी विभागाध्यक्ष			

1	क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्परूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी
32 कृषि इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 33 वास्तुकला वरिष्ठ प्राध्यापक 34 जाटोमोबाईल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 35 सेरेमिक वरिष्ठ प्राध्यापक 36 रसायन इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 37 सिविल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 38 कम्प्यूटर इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 39 इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 40 इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 41 फंशन जिजाईन वरिष्ठ प्राध्यापक 42 फंशन प्रौधोगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 43 खाद्य प्रौधोगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 44 इंसटकमैन्टेशन तथा कन्ट्रोल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 45 मैकेनिकल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 46 मैठिकल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 47 मैठिकल प्रयोगशाला प्रौधोगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 48 प्लास्टिक प्रौधोगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 49 टैक्सटाईल डिजाईन वरिष्ठ प्राध्यापक 50 टैक्सटाईल डिजाईन वरिष्ठ प्राध्यापक 51 टैक्सटाईल प्रसंस्करण वरिष्ठ प्राध्यापक 52 अनुप्रयुक्त विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 53 व्यापार प्रबन्धन वरिष्ठ प्राध्यापक 54 वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा वरिष्ठ प्राध्यापक 55 पुरतकालय विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 56 कार्यालय प्रकान वरिष्ठ प्राध्यापक 57 फार्मेसी वरिष्ठ प्राध्यापक	1	2	3	4	5
33 वास्तुकला विश्व प्राध्यापक 34 आटोमोबाईल इंजीनियरी विश्व प्राध्यापक 35 सेरेमिक विश्व प्राध्यापक 36 स्सायन इंजीनियरी विश्व प्राध्यापक 37 सिविल इंजीनियरी विश्व प्राध्यापक 38 कम्प्यूटर इंजीनियरी विश्व प्राध्यापक 39 इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी विश्व प्राध्यापक 40 इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी विश्व प्राध्यापक 41 ईलेक्ट्रोकल इंजीनियरी विश्व प्राध्यापक 42 फंशन प्रौद्योगिकी विश्व प्राध्यापक 43 खाद्य प्रौद्योगिकी विश्व प्राध्यापक 44 इंसटकभैन्टेशन तथा कन्ट्रोल इंजीनियरी विश्व प्राध्यापक 45 मैकेनिकल इंजीनियरी विश्व प्राध्यापक 46 मैक्ठिकल इलैक्ट्रोनिक्स विश्व प्राध्यापक 47 मैक्ठिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी विश्व प्राध्यापक 48 प्लास्टिक प्रौद्योगिकी विश्व प्राध्यापक 49 टैक्सटाईल जिजाईन विश्व प्राध्यापक 50 टैक्सटाईल जिजाईन विश्व प्राध्यापक 51 टैक्सटाईल प्रसंस्करण विश्व प्राध्यापक 52 अनुप्रयुक्त विज्ञान विश्व प्राध्यापक 53 व्यापार प्रबन्धन विश्व प्राध्यापक 54 वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा विश्व प्राध्यापक 55 पुस्तकालय विज्ञान विश्व प्राध्यापक 56 कार्यालय प्रवश्नन तथा कम्प्यूटर एप्लिकेशन विश्व प्राध्यापक	31	संयुक्त निदेशक			
34 आटोमोबाईल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 35 सेरेमिक वरिष्ठ प्राध्यापक 36 रसायन इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 37 सिविल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 38 कम्प्यूटर इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 39 इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 40 इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 41 फैशन डिजाईन वरिष्ठ प्राध्यापक 42 फैशन प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 43 खाद्य प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 44 इंसटकर्मेन्टेशन तथा कन्ट्रोल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 45 मैकेनिकल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 46 मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स वरिष्ठ प्राध्यापक 47 मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 48 क्लास्टिक प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 49 टैक्सटाईल डिजाईन वरिष्ठ प्राध्यापक 50 टैक्सटाईल प्रसंस्करण वरिष्ठ प्राध्यापक 51 टैक्सटाईल प्रसंस्करण वरिष्ठ प्राध्यापक 52 अनुप्रयुक्त विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 53 व्यापार प्रबन्धन तथा लेखा परीक्षा वरिष्ठ प्राध्यापक 54 वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा वरिष्ठ प्राध्यापक 55 पुस्तकालय विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 56 कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर एप्लिकेशन वरिष्ठ प्राध्यापक 57 फार्मेसी वरिष्ठ प्राध्यापक	32	कृषि इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक			
35 सेरेमिक विरिष्ठ प्राध्यापक 36 रसायन इंजीनियरी विरिष्ठ प्राध्यापक 37 सिविल इंजीनियरी विरिष्ठ प्राध्यापक 38 कम्प्यूटर इंजीनियरी विरिष्ठ प्राध्यापक 39 इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी विरिष्ठ प्राध्यापक 40 इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी विरिष्ठ प्राध्यापक 41 फैशन डिजाईन विरिष्ठ प्राध्यापक 42 फैशन प्रौद्योगिकी विरिष्ठ प्राध्यापक 43 खाद्य प्रौद्योगिकी विरिष्ठ प्राध्यापक 44 इंसटकमैन्टेशन तथा कन्ट्रोल इंजीनियरी विरिष्ठ प्राध्यापक 45 मैकेनिकल इंजीनियरी विरिष्ठ प्राध्यापक 46 मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स विरिष्ठ प्राध्यापक 47 मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी विरिष्ठ प्राध्यापक 48 प्लास्टिक प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 49 टैक्सटाईल डिजाईन वरिष्ठ प्राध्यापक 50 टैक्सटाईल प्रसंरकरण वरिष्ठ प्राध्यापक 51 टैक्सटाईल प्रसंरकरण वरिष्ठ प्राध्यापक 52 अनुप्रयुक्त विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 53 व्यापार प्रबन्धन वरिष्ठ प्राध्यापक 54 वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा वरिष्ठ प्राध्यापक 55 पुस्तकालय विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 56 कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर एप्लिकेशन वरिष्ठ प्राध्यापक 57 फार्मेसी वरिष्ठ प्राध्यापक	33	वास्तुकला वरिष्ठ प्राध्यापक			
36 रसायन इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 37 सिविल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 38 कम्प्यूटर इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 39 इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 40 इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 41 फैशन डिजाईन वरिष्ठ प्राध्यापक 42 फैशन प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 43 खाद्य प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 44 इंसटरूमेंन्टेशन तथा कन्द्रोल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 45 मैकेनिकल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 46 मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स वरिष्ठ प्राध्यापक 47 मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 48 प्लास्टिक प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 50 दैक्सटाईल डिजाईन वरिष्ठ प्राध्यापक 51 दैक्सटाईल प्रसंस्करण वरिष्ठ प्राध्यापक 52 अनुप्रयुक्त विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 53 व्यापार प्रबन्धन वरिष्ठ प्राध्यापक 54 वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा वरिष्ठ प्राध्यापक 55 पुस्तकालय विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 56 कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर एप्लिकेशन वरिष्ठ प्राध्यापक 57 फार्मेसी वरिष्ठ प्राध्यापक	34	आटोमोबाईल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक			
37 सिविल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 38 कम्प्यूटर इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 39 इलेक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 40 इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 41 फेशन डिजाईन वरिष्ठ प्राध्यापक 42 फेशन प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 43 खाद्य प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 44 इंसटरूमैंन्टेशन तथा कन्ट्रोल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 45 मैकेनिकल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 46 मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स वरिष्ठ प्राध्यापक 47 मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 48 प्लास्टिक प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 50 टैक्सटाईल डिजाईन वरिष्ठ प्राध्यापक 51 टैक्सटाईल प्रसंस्करण वरिष्ठ प्राध्यापक 52 अनुप्रयुक्त विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 53 व्यापार प्रबन्धन वरिष्ठ प्राध्यापक 54 वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा वरिष्ठ प्राध्यापक 55 पुस्तकालय विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 56 कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर एप्लिकेशन वरिष्ठ प्राध्यापक 57 फार्मेसी वरिष्ठ प्राध्यापक	35	सेरेमिक वरिष्ठ प्राध्यापक			
38 कम्प्यूटर इंजीनियरी विरष्ठ प्राध्यापक 39 इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी विरष्ठ प्राध्यापक 40 इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी विरष्ठ प्राध्यापक 41 फैशन डिजाईन विरष्ठ प्राध्यापक 42 फैशन प्रौद्योगिकी विरष्ठ प्राध्यापक 43 खाद्य प्रौद्योगिकी विरष्ठ प्राध्यापक 44 इंसटरूमैन्टेशन तथा कन्ट्रोल इंजीनियरी विरष्ठ प्राध्यापक 45 मैकेनिकल इंजीनियरी विरष्ठ प्राध्यापक 46 मैडिकल इंजीनियरी विरष्ठ प्राध्यापक 47 मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी विरष्ठ प्राध्यापक 48 प्लास्टिक प्रौद्योगिकी विरष्ठ प्राध्यापक 50 टैक्सटाईल डिजाईन विरष्ठ प्राध्यापक 51 टैक्सटाईल प्रसंस्करण विरष्ठ प्राध्यापक 52 अनुप्रयुक्त विज्ञान विरष्ठ प्राध्यापक 53 व्यापार प्रबन्धन विरष्ठ प्राध्यापक 54 वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा विरष्ठ प्राध्यापक 55 पुस्तकालय विज्ञान विरष्ठ प्राध्यापक 56 कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर एप्तिकेशन विरष्ठ प्राध्यापक 56 कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर एप्तिकेशन विरष्ठ प्राध्यापक	36	रसायन इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक			
39 इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 40 इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 41 फंशन डिजाईन वरिष्ठ प्राध्यापक 42 फंशन प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 43 खाद्य प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 44 इंसटरूमैंन्टेशन तथा कन्ट्रोल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 45 मैकेनिकल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 46 मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स वरिष्ठ प्राध्यापक 47 मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 48 प्लास्टिक प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 50 टैक्सटाईल डिजाईन वरिष्ठ प्राध्यापक 51 टैक्सटाईल प्रसंस्करण वरिष्ठ प्राध्यापक 52 अनुप्रयुक्त विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 53 व्यापार प्रबन्धन वरिष्ठ प्राध्यापक 54 वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा वरिष्ठ प्राध्यापक 55 पुस्तकालय विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 56 कार्यालय प्रज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 57 फार्मेसी वरिष्ठ प्राध्यापक	37	सिविल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक			
प्राध्यापक 40 इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 41 फैशन डिजाईन वरिष्ठ प्राध्यापक 42 फैशन प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 43 खाद्य प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 44 इंसटरूमेंन्टेशन तथा कन्ट्रोल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 45 मैकेनिकल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 46 मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स वरिष्ठ प्राध्यापक 47 मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 48 प्लास्टिक प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 50 टैक्सटाईल डिजाईन वरिष्ठ प्राध्यापक 51 टैक्सटाईल प्रोद्यागिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 52 अनुप्रयुक्त विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 53 व्यापार प्रबन्धन वरिष्ठ प्राध्यापक 54 वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा वरिष्ठ प्राध्यापक 55 पुस्तकालय विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 56 कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर एप्लिकेशन वरिष्ठ प्राध्यापक 57 फार्मेसी वरिष्ठ प्राध्यापक	38	कम्प्यूटर इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक			
41 फैशन डिजाईन वरिष्ठ प्राध्यापक 42 फैशन प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 43 खाद्य प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 44 इंसटरूमेंन्टेशन तथा कन्ट्रोल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 45 मैकेनिकल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 46 मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स वरिष्ठ प्राध्यापक 47 मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 48 प्लास्टिक प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 49 टैक्सटाईल डिजाईन वरिष्ठ प्राध्यापक 50 टैक्सटाईल प्रसंस्करण वरिष्ठ प्राध्यापक 51 टैक्सटाईल प्रश्चेगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 52 अनुप्रयुक्त विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 53 व्यापार प्रबन्धन वरिष्ठ प्राध्यापक 54 वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा वरिष्ठ प्राध्यापक 55 पुस्तकालय विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 56 कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर एप्लिकेशन वरिष्ठ प्राध्यापक 57 फार्मेसी वरिष्ठ प्राध्यापक	39	1			
42 फेशन प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 43 खाद्य प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 44 इंसटरूमेंन्टेशन तथा कन्ट्रोल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 45 मैकेनिकल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 46 मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स वरिष्ठ प्राध्यापक 47 मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 48 प्लास्टिक प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 49 टैक्सटाईल डिजाईन वरिष्ठ प्राध्यापक 50 टैक्सटाईल प्रसंस्करण वरिष्ठ प्राध्यापक 51 टैक्सटाईल प्रोद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 52 अनुप्रयुक्त विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 53 व्यापार प्रबन्धन वरिष्ठ प्राध्यापक 54 वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा वरिष्ठ प्राध्यापक 55 पुस्तकालय विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 56 कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर एप्लिकेशन वरिष्ठ प्राध्यापक 57 फार्मेसी वरिष्ठ प्राध्यापक	40	इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक			
43 खाद्य प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 44 इंसटरूमैंन्टेशन तथा कन्ट्रोल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 45 मैकेनिकल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 46 मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स वरिष्ठ प्राध्यापक 47 मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 48 प्लास्टिक प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 49 टैक्सटाईल डिजाईन वरिष्ठ प्राध्यापक 50 टैक्सटाईल प्रमंस्करण वरिष्ठ प्राध्यापक 51 टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 52 अनुप्रयुक्त विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 53 व्यापार प्रबन्धन वरिष्ठ प्राध्यापक 54 वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा वरिष्ठ प्राध्यापक 55 पुस्तकालय विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 56 कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर एप्लिकेशन वरिष्ठ प्राध्यापक 57 फार्मेसी वरिष्ठ प्राध्यापक	41	फैशन डिजाईन वरिष्ठ प्राध्यापक			
44 इंसटरूमेंन्टेशन तथा कन्ट्रोल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 45 मैकेनिकल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक 46 मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स वरिष्ठ प्राध्यापक 47 मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 48 प्लास्टिक प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 49 टैक्सटाईल डिजाईन वरिष्ठ प्राध्यापक 50 टैक्सटाईल प्रसंस्करण वरिष्ठ प्राध्यापक 51 टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 52 अनुप्रयुक्त विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 53 व्यापार प्रबन्धन वरिष्ठ प्राध्यापक 54 वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा वरिष्ठ प्राध्यापक 55 पुस्तकालय विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 56 कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर एप्लिकेशन वरिष्ठ प्राध्यापक 57 फार्मेसी वरिष्ठ प्राध्यापक	42	फैशन प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक			
प्राध्यापक  45 मैकेनिकल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक  46 मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स वरिष्ठ प्राध्यापक  47 मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक  48 प्लास्टिक प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक  49 टैक्सटाईल डिजाईन वरिष्ठ प्राध्यापक  50 टैक्सटाईल प्रसंस्करण वरिष्ठ प्राध्यापक  51 टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक  52 अनुप्रयुक्त विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक  53 व्यापार प्रबन्धन वरिष्ठ प्राध्यापक  54 वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा वरिष्ठ प्राध्यापक  55 पुस्तकालय विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक  56 कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर एप्लिकेशन वरिष्ठ प्राध्यापक  57 फार्मेसी वरिष्ठ प्राध्यापक	43	खाद्य प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक			
46 मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स वरिष्ठ प्राध्यापक 47 मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 48 प्लास्टिक प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 49 टैक्सटाईल डिजाईन वरिष्ठ प्राध्यापक 50 टैक्सटाईल प्रसंस्करण वरिष्ठ प्राध्यापक 51 टैक्सटाईल प्रोद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 52 अनुप्रयुक्त विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 53 व्यापार प्रबन्धन वरिष्ठ प्राध्यापक 54 वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा वरिष्ठ प्राध्यापक 55 पुस्तकालय विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 56 कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर एप्लिकेशन वरिष्ठ प्राध्यापक 57 फार्मेसी वरिष्ठ प्राध्यापक	44				
47 मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 48 प्लास्टिक प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 49 टैक्सटाईल डिजाईन वरिष्ठ प्राध्यापक 50 टैक्सटाईल प्रसंस्करण वरिष्ठ प्राध्यापक 51 टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 52 अनुप्रयुक्त विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 53 व्यापार प्रबन्धन वरिष्ठ प्राध्यापक 54 वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा वरिष्ठ प्राध्यापक 55 पुस्तकालय विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 56 कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर एप्लिकेशन वरिष्ठ प्राध्यापक 57 फार्मेसी वरिष्ठ प्राध्यापक	45	मैकेनिकल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक			
48 प्लास्टिक प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 49 टैक्सटाईल डिजाईन वरिष्ठ प्राध्यापक 50 टैक्सटाईल प्रसंस्करण वरिष्ठ प्राध्यापक 51 टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 52 अनुप्रयुक्त विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 53 व्यापार प्रबन्धन वरिष्ठ प्राध्यापक 54 वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा वरिष्ठ प्राध्यापक 55 पुस्तकालय विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 56 कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर एप्लिकेशन वरिष्ठ प्राध्यापक 57 फार्मेसी वरिष्ठ प्राध्यापक	46	मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स वरिष्ठ प्राध्यापक			
49 दैक्सटाईल डिजाईन वरिष्ठ प्राध्यापक 50 दैक्सटाईल प्रसंस्करण वरिष्ठ प्राध्यापक 51 दैक्सटाईल प्रोद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 52 अनुप्रयुक्त विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 53 व्यापार प्रबन्धन वरिष्ठ प्राध्यापक 54 वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा वरिष्ठ प्राध्यापक 55 पुस्तकालय विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 56 कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर एप्लिकेशन वरिष्ठ प्राध्यापक 57 फार्मेसी वरिष्ठ प्राध्यापक	47	मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक			
50 टैक्सटाईल प्रसंस्करण वरिष्ठ प्राध्यापक 51 टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 52 अनुप्रयुक्त विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 53 व्यापार प्रबन्धन वरिष्ठ प्राध्यापक 54 वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा वरिष्ठ प्राध्यापक 55 पुस्तकालय विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 56 कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर एप्लिकेशन वरिष्ठ प्राध्यापक 57 फार्मेसी वरिष्ठ प्राध्यापक	48	प्लास्टिक प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक			
51 टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक 52 अनुप्रयुक्त विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 53 व्यापार प्रबन्धन वरिष्ठ प्राध्यापक 54 वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा वरिष्ठ प्राध्यापक 55 पुस्तकालय विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 56 कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर एप्लिकेशन वरिष्ठ प्राध्यापक 57 फार्मेसी वरिष्ठ प्राध्यापक	49	टैक्सटाईल डिजाईन वरिष्ठ प्राध्यापक			
52 अनुप्रयुक्त विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 53 व्यापार प्रबन्धन वरिष्ठ प्राध्यापक 54 वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा वरिष्ठ प्राध्यापक 55 पुस्तकालय विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 56 कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर एप्लिकेशन वरिष्ठ प्राध्यापक 57 फार्मेसी वरिष्ठ प्राध्यापक	50	टैक्सटाईल प्रसंस्करण वरिष्ठ प्राध्यापक			
53 व्यापार प्रबन्धन वरिष्ठ प्राध्यापक 54 वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा वरिष्ठ प्राध्यापक 55 पुस्तकालय विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 56 कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर एप्लिकेशन वरिष्ठ प्राध्यापक 57 फार्मेसी वरिष्ठ प्राध्यापक	51	टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक			
54 वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा वरिष्ठ प्राध्यापक 55 पुस्तकालय विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 56 कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर एप्लिकेशन वरिष्ठ प्राध्यापक 57 फार्मेसी वरिष्ठ प्राध्यापक	52	अनुप्रयुक्त विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक			
55 पुस्तकालय विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक 56 कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर एप्लिकेशन वरिष्ठ प्राध्यापक 57 फार्मेसी वरिष्ठ प्राध्यापक	53	व्यापार प्रबन्धन वरिष्ठ प्राध्यापक			
56 कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर एप्लिकेशन वरिष्ठ प्राध्यापक 57 फार्मेसी वरिष्ठ प्राध्यापक	54	वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा वरिष्ठ प्राध्यापक			
वरिष्ठ प्राध्यापक 57 फार्मेसी वरिष्ठ प्राध्यापक	55	पुस्तकालय विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक			
	56				
58 वर्कशाप अधीक्षक	57	फार्मेसी वरिष्ठ प्राध्यापक			
	58	वर्कशाप अधीक्षक			

परिशिष्ट घ [*देखिए नियम 14 (2)*]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का नाम	आदेश करने के लिए संशक्त प्राधिकारी
1	2	3	4
1	निदेशक	(i) पेंशन को शासित करने वाले	सरकार
2	अपर निदेशक	नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य या अतिरिक्त पेंशन की	
3	प्रधानाचार्य	राशि में कमी करना या रोकना;	
4	उप— प्रधानाचार्य तथा प्रशिक्षण और प्लेसमेंट अधिकारी	अधिवर्षिता के लिए नियत आयु	
5	कृषि इंजीनियरी विभागाध्यक्ष	के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	
6	वास्तुकला विभागाध्यक्ष	समाप्त।	
7	आटोमोबाईल इंजीनियरी विभागाध्यक्ष		
8	सेरेमिक इंजीनियरी विभागाध्यक्ष		
9	रसायन इंजीनियरी विभागाध्यक्ष		
10	सिविल इंजीनियरी विभागाध्यक्ष		
11	कम्प्यूटर इंजीनियरी विभागाध्यक्ष		
12	इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी विभागाध्यक्ष		
13	इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी विभागाध्यक्ष		
14	फैशन डिजाईन विभागाध्यक्ष		
15	फैशन प्रौद्योगिकी विभागाध्यक्ष		
16	खाद्य प्रौद्योगिकी विभागाध्यक्ष		
17	इंसटरूमैंन्टेशन तथा कन्ट्रोल इंजीनियरी विभागाध्यक्ष		
18	मैकेनिकल इंजीनियरी विभागाध्यक्ष		
19	मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स विभागाध्यक्ष		
20	मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी विभागाध्यक्ष		
21	प्लास्टिक प्रौद्योगिकी विभागाध्यक्ष		
22	टैक्सटाईल डिजाईन विभागाध्यक्ष		
23	टैक्सटाईल प्रसंस्करण विभागाध्यक्ष		
24	टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी विभागाध्यक्ष		
25	अनुप्रयुक्त विज्ञान विभागाध्यक्ष		
26	व्यापार प्रबन्धन विभागाध्यक्ष		
27	वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा विभागाध्यक्ष		
28	पुस्तकालय विज्ञान विभागाध्यक्ष		
29	कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन विभागाध्यक्ष		
30	फार्मेसी विभागाध्यक्ष		

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का नाम	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी
1	2	3	4
31	संयुक्त निदेशक		
32	कृषि इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक		
33	वास्तुकला वरिष्ठ प्राध्यापक		
34	आटोमोबाईल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक		
35	सेरेमिक वरिष्ठ प्राध्यापक		
36	रसायन इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक		
37	सिविल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक		
38	कम्प्यूटर इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक		
39	इलैक्ट्रोनिक्स तथा संचार इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक		
40	इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक		
41	फैशन डिजाईन वरिष्ठ प्राध्यापक		
42	फैशन प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक		
43	खाद्य प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक		
44	इंसटरूमेंन्टेशन तथा कन्ट्रोल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक		
45	मैकेनिकल इंजीनियरी वरिष्ठ प्राध्यापक		
46	मैडिकल इलैक्ट्रोनिक्स वरिष्ठ प्राध्यापक		
47	मैडिकल प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक		
48	प्लास्टिक प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक		
49	टैक्सटाईल डिजाईन वरिष्ठ प्राध्यापक		
50	टैक्सटाईल प्रसंस्करण वरिष्ठ प्राध्यापक		
51	टैक्सटाईल प्रौद्योगिकी वरिष्ठ प्राध्यापक		
52	प्रयुक्त विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक		
53	व्यापार प्रबन्धन वरिष्ठ प्राध्यापक		
54	वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा वरिष्ठ प्राध्यापक		
55	पुस्तकालय विज्ञान वरिष्ठ प्राध्यापक		
56	कार्यालय प्रबन्धन तथा कम्प्यूटर एप्लिकेशन वरिष्ठ प्राध्यापक		
57	फार्मेसी वरिष्ठ प्राध्यापक		
58	वर्कशाप अधीक्षक		

अंकुर गुप्ता, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग।

[Authorised English Translation]

#### HARYANA GOVERNMENT

#### TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT

#### Notification

The 12th November, 2019

No. G.S.R. 50/Const./Art.309/2019.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Technical Education Department (Group A) Service, namely:-

#### **GENERAL**

- These rules may be called the Haryana Technical Education Department (Group A) Short title. 1. (1) Service Rules, 2019.
  - They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette. (2)
- 2. In these rules, unless the context otherwise requires:-

Definitions.

- "Administrative Secretary" means Additional Chief Secretary/Principal Secretary to Government, Haryana, Technical Education Department, as the case may be.
- (b) "Commission" means the Haryana Public Service Commission;
- "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from (c) within the service or by transfer of an officer already in the service of the Government of India or any State Government;
- (d) "Government" means the Government of the State of Haryana in the Administrative Department;
- "institution" means,-(e)
  - any institution established by law in force in the State of Haryana; or (i)
  - any other institution recognized by the Government for the purpose of these (ii) rules;
- (f) "recognized university" means,
  - any University incorporated by law in India; or
  - any other University which is declared by the Government to be a (ii) recognized Uuniversity for the purpose of these rules;
- "Service" means the Haryana Technical Education Department (Group A) Service. (g)

### **PART-II**

#### RECRUITMENT TO SERVICE

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to or reduction in the number of such posts or to create new posts with different designations and scale of pay.

- No person shall be appointed to the service, unless he is :-
  - (a) a citizen of India: or
  - a subject of Nepal; or (b)
  - a subject of Bhutan: (c)

Provided that a person belonging to any of the categories (b) or (c) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

Number and character of posts.

Nationality. domicile and character of candidates appointed to the service.

(3) No person shall be appointed to the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the principal, academic officer of the University, college, school or institution last attended, if any and similar certificates from two other responsible persons, not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age.

5. No person shall be appointed to the Service by direct recruitment who is less than twenty one years or more than forty two years of age, on the last date of submission of application to the Commission.

Appointment authority.

**6.** Appointments to the posts in the Service shall be made by the Government.

Qualifications and experience.

7. No person shall be appointed to the Service, unless he is in possession of qualification and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of recruitment other than by direct recruitment:

Provided that in case of direct recruitment, the qualification regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the commission or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Class, Ex-Serviceman and Physically Handicapped Candidates possessing the requisite experience are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reason for so doing in writing.

Disqualifications.

- 8. No person, -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of Recruitment.

- **9.** (1) Recruitment to the Service shall be made.
  - (1) in the case of Director,—
    - (i) by promotion from amongst the Additional Directors; or
    - (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.
  - (2) in the case of Additional Director,—
    - (i) by promotion from amongst the Principals; or
    - (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.
  - (3) in the case of Principal,—
    - (i) by promotion from amongst the Vice-Principal-cum-Training & Placement Officers/ Heads of Department; or
    - (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.

**Note:** Head of Department means an officer appointed by Government as Head of Department in relevant discipline of Government Polytechnics.

- (4) in the case of Vice-Principal-cum-Training & Placement Officer,—
  - (i) by promotion from amongst the Heads of Department; or
  - (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.

**Note:** Head of Department means an officer appointed by Government as Head of Department in relevant discipline of Government Polytechnics.

### (5) in the case of Head of Department in Agriculture Engineering, —

- (i) by promotion from amongst Senior Lecturers in Agriculture Engineering; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

#### (6) in the case of Head of Department in Architecture, —

- (i) by promotion from amongst the Senior Lecturers in Architecture; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

#### (7) in the case of Head of Department in Automobile Engineering, —

- (i) by promotion from amongst the Senior Lecturers in Automobile Engineering; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India.

#### (8) in the case of Head of Department in Ceramic Engineering, —

- (i) by promotion from amongst Senior Lecturers in Ceramic Engineering; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

### (9) in the case of Head of Department in Chemical Engineering, —

- (i) by promotion from amongst Senior Lecturers in Chemical Engineering; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

#### (10) in the case of Head of Department in Civil Engineering, —

- (i) by promotion from amongst the Senior Lecturers in Civil Engineering; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

#### (11) in the case of Head of Department in Computer Engineering, —

- (i) by promotion from amongst Senior Lecturers in Computer Engineering; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

# (12) in the case of Head of Department in Electronics and Communication Engineering, —

- (i) by promotion from amongst the Senior Lecturers in Electronics and Communication Engineering; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

# (13) in the case of Head of Department in Electrical Engineering, —

- (i) by promotion from amongst the Senior Lecturers in Electrical Engineering; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

#### (14) in the case of Head of Department in Fashion Design, —

- (i) by promotion from amongst Senior Lecturers in Fashion Design; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

#### (15) in the case of Head of Department in Fashion Technology, —

- by promotion from amongst Senior Lecturers in Fashion Technology;
   or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

#### (16) in the case of Head of Department in Food Technology,—

- (i) by promotion from amongst Senior Lecturers in Food Technology; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

# (17) in the case of Head of Department in Instrumentation and Control Engineering,—

- (i) by promotion from amongst Senior Lecturers in Instrumentation and Control Engineering; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

# (18) in the case of Head of Department in Mechanical Engineering, —

- (i) by promotion from amongst the Senior Lecturers in Mechanical Engineering; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

#### (19) in the case of Head of Department in Medical Electronics, —

- by promotion from amongst Senior Lecturers in Medical Electronics;
   or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

# (20) in the case of Head of Department in Medical Laboratory Technology,—

- (i) by promotion from amongst Senior Lecturers in Medical Laboratory Technology; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

### (21) in the case of Head of Department in Plastic Technology, —

- (i) by promotion from amongst Senior Lecturers in Plastic Technology; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

# (22) in the case of Head of Department in Textile Design, —

- (i) by promotion from amongst Senior Lecturers in Textile Design; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

### (23) in the case of Head of Department in Textile Processing, —

- by promotion from amongst Senior Lecturers in Textile Processing; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

#### (24) in the case of Head of Department in Textile Technology, —

- by promotion from amongst Senior Lecturers in Textile Technology;
   or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

#### (25) in the case of Head of Department in Applied Sciences, —

- (i) by promotion from amongst Senior Lecturers in Applied Sciences; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

#### (26) in the case of Head of Department in Business Management, —

- (i) by promotion from amongst Senior Lecturers in Business Management; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India:

#### (27) in the case of Head of Department in Finance Accounts and Audit, —

- by promotion from amongst Senior Lecturers in Finance Accounts and Audit; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

#### (28) in the case of Head of Department in Library Science, —

- (i) by promotion from amongst the Senior Lecturers in Library Science; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

# (29) in the case of Head of Department in Office Management and Computer Application, —

- (i) by promotion from amongst Senior Lecturers in Office Management and Computer Application (OMCA); or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

#### (30) in the case of Head of Department in Pharmacy, —

- (i) by promotion from amongst the Senior Lecturers in Pharmacy; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

# (31) in the case of Joint Director, —

(i) By transfer from Group-A officers of Government Polytechnics drawing pay scale analogous to the post of Joint Director.

#### (32) in the case of Senior Lecturer in Agriculture Engineering, —

- (i) by promotion from amongst Lecturers in Agriculture Engineering; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

### (33) in the case of Senior Lecturer in Architecture, —

- (i) by promotion from amongst Lecturers in Architecture; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

### (34) in the case of Senior Lecturer in Automobile Engineering, —

- (i) by promotion from amongst Lecturers in Automobile Engineering; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

# (35) in the case of Senior Lecturer in Ceramic Engineering, —

- (i) by promotion from amongst Lecturers in Ceramic Engineering; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

#### (36) in the case of Senior Lecturer in Chemical Engineering, —

- (i) by promotion from amongst Lecturers in Chemical Engineering; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

### (37) in the case of Senior Lecturer in Civil Engineering, —

- (i) by promotion from amongst Lecturers in Civil Engineering; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

#### (38) in the case of Senior Lecturer in Computer Engineering, —

- by promotion from amongst the Lecturers in Computer Engineering/ Programmers; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

# (39) in the case of Senior Lecturer in Electronics and Communication Engineering, —

- (i) by promotion from amongst Lecturers in Electronics and Communication Engineering; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

#### (40) in the case of Senior Lecturer in Electrical Engineering, —

- (i) by promotion from amongst Lecturers in Electrical Engineering; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

#### (41) in the case of Senior Lecturer in Fashion Design, —

- (i) by promotion from amongst Lecturers in Fashion Design; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

#### (42) in the case of Senior Lecturer in Fashion Technology, —

- (i) by promotion from amongst Lecturers in Fashion Technology; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

# (43) in the case of Senior Lecturer in Food Technology, —

- (i) by promotion from amongst Lecturers in Food Technology; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

# (44) in the case of Senior Lecturer in Instrumentation and Control Engineering, —

- (i) by promotion from amongst Lecturers in Instrumentation and Control Engineering; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

# (45) in the case of Senior Lecturer in Mechanical Engineering, —

- (i) by promotion from amongst Lecturers in Mechanical Engineering; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India:

#### (46) in the case of Senior Lecturer in Medical Electronics, —

- (i) by promotion from amongst Lecturers in Medical Electronics; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

# (47) in the case of Senior Lecturer in Medical Laboratory Technology, —

- (i) by promotion from amongst Lecturers in Medical Laboratory Technology; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

### (48) in the case of Senior Lecturer in Plastic Technology, —

- (i) by promotion from amongst Lecturers in Plastic Technology; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

#### (49) in the case of Senior Lecturer in Textile Design, —

- (i) by promotion from amongst Lecturers in Textile Design; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

#### (50) in the case of Senior Lecturer in Textile Processing, —

- (i) by promotion from amongst Lecturers in Textile Processing; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

### (51) in the case of Senior Lecturer in Textile Technology, —

- (i) by promotion from amongst Lecturers in Textile Technology; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

#### (52) in the case of Senior Lecturer in Applied Sciences, —

- (i) by promotion from amongst Lecturers in Applied Sciences; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

#### (53) in the case of Senior Lecturer in Business Management, —

- (i) by promotion from amongst Lecturers in Business Management; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India:

#### (54) in the case of Senior Lecturer in Finance Accounts and Audit, —

- (i) by promotion from amongst Lecturers in Finance Accounts and Audit; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

### (55) in the case of Senior Lecturer in Library Science, —

- (i) by promotion from amongst Lecturers in Library Science; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

# (56) in the case of Senior Lecturer in Office Management and Computer Application,—

- (i) by promotion from amongst Lecturers in Office Management and Computer Application (OMCA); or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

#### (57) in the case of Senior Lecturer in Pharmacy, —

- (i) by promotion from amongst Lecturers in Pharmacy; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;

#### (58) in the case of Workshop Superintendent, —

- (i) by promotion from amongst Foreman Instructors; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer already in the service of any State Government or the Government of India;
- (2) All promotions, unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.
- **10.** (1) Persons appointed to any post in the service shall remain on probation for a period Probation of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise:

#### Provided that:-

- (a) any period after such appointment spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule; and

- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who had so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a regular vacancy.
- (2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,-
  - (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services;
     and
  - (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—
    - (i) revert him to his former post; or
    - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.
  - (3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—
    - (a) if his work or conduct has, in its opinion been satisfactory, confirm such person from the date of his appointment, against regular vacancy; or
    - (b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,—
      - dispense with his services, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of previous appointment permit; or
      - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

11. Seniority, *inter-se* of members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in the Services, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission, shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:-

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;
- (c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, than by the length of their service in the appointment, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve.

- 12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.
  - (2) A member of Service may also be deputed to service as under,—
    - a company, association or body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, Municipal Corporation or local authority or university within the State of Haryana;

- (ii) the Central Government or Chandigarh Administration, Chandigarh or company, association or body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government; or
- (iii) another State Government, an international organization, an autonomous body not controlled by the Government or a private body:

Provided that no member of the service shall be deputed to the Central or any other State Government or any organization or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

13 (1) In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (General) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Pay) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Allowances to Government Employees) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Government Employees Conduct) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Travelling Allowances) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016 and by such rules and regulations, as may have been, or may hereafter be adopted or made by the competent authority of India under the Constitution of India or under any law for time being in force made by the State Legislative:

Pay, leave, pension and other matters.

Provided that the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016 shall not be applicable to those members of service who are appointed on or after the 1st January, 2006 (except death-cumretirement gratuity and leave encashment).

- (2) A Government employee who retires from Service or post shall be eligible add to his Service qualifying for superannuation pension (but not for any other class of pension),
  - (i) the actual period not extending one-fourth of the length of his service; or
  - (ii) the actual period by which his age at the time of recruitment exceeds twenty five years; or
  - (iii) a period of five years,

whichever is less, if the service or post to which the Government employee is appointed is one-

- (a) for which the post graduate research of specialist qualification or experience in scientific/technological or professional fields is essential; and
- (b) to which the candidates of more than twenty-five years of age are normally recruited:

Provided that this concession shall be admissible to a Government employee,—

- (i) appointed by direct recruitment and not by promotion;
- (ii) who has actual qualifying service of ten years or more at the time of superannuation retirement:

Provided that the provisions of sub-rule(2) shall not be applicable to those member of service who appointed on or after 1st January 2006.

(3) The concession referred to sub-rule (2) shall also be admissible on subsequent appointment from any other post to such a post in the same or any other department:

Provided that the Government employee shall be entitled either to count his past qualifying Service for superannuation pension or to get concession under sub-rule (2). He shall exercise an option to this effect within one year from the date of joining. The option once exercised shall be final.

**Note:** The decision to grant the concession under this rule shall be taken within two years from the date of recruitment by the Administrative Department consultation with the Finance Department.

14 (1) In matters, relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016:

Discipline, penalties and appeals.

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or (d) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016 and the appellate authority shall be such as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

**15.** Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated if and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance.

**16.** Every member of the Service unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of employees.

Special provision.

**18.** Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed expedient to do so.

Reservations.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen, Physically Handicapped persons or and other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time, under clause (4) of article of the Constitution.

Repeal and Savings.

**20.** The Haryana Technical Education Department (Group A) service rules, 1986 are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rule so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

# Appendix A (see rule 3)

Serial Number	Designation of the posts	Number of post	Scale of Pay
1	2	3	4
1	Director	1	FPL 19, cell 1 ₹128900/-
2	Additional Director	2	FPL 14, cell 1 ₹118500/-
3	Principal	17	FPL 14, cell 1 ₹118500/-
4	Vice-Principal cum Training and Placement Officer	17	FPL 12, cell 1 ₹78800/-
5	Head of Department in Agriculture Engineering	1	FPL 12, cell 1 ₹78800/-
6	Head of Department in Architecture	4	FPL 12, cell 1 ₹78800/-
7	Head of Department in Automobile Engineering	2	FPL 12, cell 1 ₹78800/-
8	Head of Department in Ceramic Engineering	1	FPL 12, cell 1 ₹78800/-
9	Head of Department in Chemical Engineering	1	FPL 12, cell 1 ₹78800/-
10	Head of Department in Civil Engineering	11	FPL 12, cell 1 ₹78800/-
11	Head of Department in Computer Engineering	16	FPL 12, cell 1 ₹78800/-
12	Head of Department in Electronics and Communication Engineering	12	FPL 12, cell 1 ₹78800/-
13	Head of Department in Electrical Engineering	12	FPL 12, cell 1 ₹78800/-
14	Head of Department in Fashion Design	2	FPL 12, cell 1 ₹78800/-
15	Head of Department in Fashion Technology	1	FPL 12, cell 1 ₹78800/-
16	Head of Department in Food Technology	1	FPL 12, cell 1 ₹78800/-
17	Head of Department in Instrumentation and Control Engineering	4	FPL 12, cell 1 ₹78800/-
18	Head of Department in Mechanical Engineering	11	FPL 12, cell 1 ₹78800/-
19	Head of Department in Medical Electronics	1	FPL 12, cell 1 ₹78800/-
20	Head of Department in Medical Laboratory Technology	3	FPL 12, cell 1 ₹78800/-
21	Head of Department in Plastic Technology	1	FPL 12, cell 1 ₹78800/-
22	Head of Department in Textile Design	1	FPL 12, cell 1 ₹78800/-
23	Head of Department in Textile Processing	2	FPL 12, cell 1 ₹78800/-
24	Head of Department in Textile Technology	2	FPL 12, cell 1 ₹78800/-
25	Head of Department in Applied Sciences	17	FPL 12, cell 1 ₹78800/-
26	Head of Department in Business Management	5	FPL 12, cell 1 ₹78800/-
27	Head of Department in Finance Accounts and Audit	3	FPL 12, cell 1 ₹78800/-
28	Head of Department in Library Science	1	FPL 12, cell 1 ₹78800/-
29	Head of Department in Office Management and Computer Application	3	FPL 12, cell 1 ₹78800/-
30	Head of Department in Pharmacy	3	FPL 12, cell 1 ₹78800/-
31	Joint Director	4	FPL 12, cell 1 ₹78800/-
32	Senior Lecturer in Agriculture Engineering	1	FPL 11, cell 1 ₹67700/-
33	Senior Lecturer in Architecture	4	FPL 11, cell 1 ₹67700/-
34	Senior Lecturer in Automobile Engineering	3	FPL 11, cell 1 ₹67700/-

Serial Number	Designation of the posts	Number of post	Scale of Pay
1	2	3	4
35	Senior Lecturer in Ceramic Engineering	1	FPL 11, cell 1 ₹67700/-
36	Senior Lecturer in Chemical Engineering	1	FPL 11, cell 1 ₹67700/-
37	Senior Lecturer in Civil Engineering	13	FPL 11, cell 1 ₹67700/-
38	Senior Lecturer in Computer Engineering.	20	FPL 11, cell 1 ₹67700/-
39	Senior Lecturer in Electronics and Communication Engineering	13	FPL 11, cell 1 ₹67700/-
40	Senior Lecturer in Electrical Engineering	12	FPL 11, cell 1 ₹67700/-
41	Senior Lecturer in Fashion Design	2	FPL 11, cell 1 ₹67700/-
42	Senior Lecturer in Fashion Technology	1	FPL 11, cell 1 ₹67700/-
43	Senior Lecturer in Food Technology	1	FPL 11, cell 1 ₹67700/-
44	Senior Lecturer in Instrumentation and Control Engineering	4	FPL 11, cell 1 ₹67700/-
45	Senior Lecturer in Mechanical Engineering	18	FPL 11, cell 1 ₹67700/-
46	Senior Lecturer in Medical Electronics	1	FPL 11, cell 1 ₹67700/-
47	Senior Lecturer in Medical Laboratory Technology	3	FPL 11, cell 1 ₹67700/-
48	Senior Lecturer in Plastic Technology	1	FPL 11, cell 1 ₹67700/-
49	Senior Lecturer in Textile Design	1	FPL 11, cell 1 ₹67700/-
50	Senior Lecturer in Textile Processing	2	FPL 11, cell 1 ₹67700/-
51	Senior Lecturer in Textile Technology	2	FPL 11, cell 1 ₹67700/-
52	Senior Lecturer in Applied Sciences	22	FPL 11, cell 1 ₹67700/-
53	Senior Lecturer in Business Management	5	FPL 11, cell 1 ₹67700/-
54	Senior Lecturer in Finance Accounts and Audit	3	FPL 11, cell 1 ₹67700/-
55	Senior Lecturer in Library Science	1	FPL 11, cell 1 ₹67700/-
56	Senior Lecturer in Office Management and Computer Application	3	FPL 11, cell 1 ₹67700/-
57	Senior Lecturer in Pharmacy	3	FPL 11, cell 1 ₹67700/-
58	Workshop Superintendent	7	FPL 10, cell 1 ₹56100/-

# Appendix B

(see rule 7)

Serial. Number.	Designation of post	Academic qualifications or experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications or experience, if any, for appointment, other than by direct recruitment
1	2	3	4
1.	Director		By promotion-
			Three years experience as Additional Director.
			By transfer or deputation-
			(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution;
			OR
			First class Master's degree in Pharmacy or Library Science or Commerce or Business Administration or Management or Fashion or Textile or Applied Sciences from a recognized university /institution;  (ii) Holding analogous post with three years regular
			experience;
			OR
			Twenty years full time teaching experience after appointment on regular post of Lecturer in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education, out of which at least five years as Principal of Government Polytechnic; and
			(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
2.	Additional		By promotion-
	Director		Three years experience as Principal of Government Polytechnic.
			By transfer or deputation-
			(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution;  OR
			First class Master's degree in Pharmacy or Library Science or Commerce or Business Administration or Management or Fashion or Textile or Applied Sciences from a recognized university /institution;
			(ii) Holding analogous post with three years regular experience;
			OR OR

		Fifteen years full time teaching experience after appointment on regular post of Lecturer in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education, out of which at least three years as Principal of Government Polytechnic; and  (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
3.	Principal	By promotion- Five years combined experience as Vice-Principal-cum- Training and Placement Officers/ Heads of Department of Government Polytechnics.
		By transfer or deputation-
		(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution;
		OR
		First class Master's degree in Pharmacy or Library Science or Commerce or Business Administration or Management or Fashion or Textile or Applied Sciences from a recognized university/institution;  (ii) Holding analogous post with three years regular
		experience;
		OR  Twelve years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in a recognized institution/ university, out of which at least five years as vice Principal-cum-Training and Placement Officer/ Head of Department of Government Polytechnic; and  (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
4.	Vice-Principal	By promotion-
	cum Training and Placement	One year experience as Heads of Department of Government Polytechnics.
	Officer	By transfer or deputation-
		(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree with First Class, either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution;
		OR
		First class Master's degree in Pharmacy or Library Science or Commerce or Business Administration or Management or Fashion or Textile or Applied Sciences from a recognized university /institution;  (ii) Holding analogous post with three years regular
		experience;

		OR
		Twelve years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in a recognized institution/ university, out of which at least five years as Head of Department of Government Polytechnic; and  (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
5.	Head of	By promotion-
	Department in Agriculture Engineering	Two years experience as Senior Lecturer in Agriculture Engineering of Government Polytechnics;  OR
		Eight years combined experience as Senior Lecturer and Lecturer in Agriculture Engineering of Government Polytechnics.
		By transfer or deputation-
		(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Agriculture with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution;
		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;
		OR
		Eight years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Agriculture Engineering in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education, out of which at least two years as Senior Lecturer in Agriculture Engineering of Government Polytechnic; and
		(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
6	Head of	By promotion-
	Department in Architecture	Two years experience as Senior Lecturer in Architecture of Government Polytechnics;
		OR
		Eight years combined experience as Senior Lecturer and Lecturer in Architecture of Government Polytechnics.
		By transfer or deputation-
		(i) Bachelors and Masters degree in Architecture with First Class either in Bachelors or Masters degree, from a recognized university/ institution;
		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;
		OR
		Eight years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Architecture in a recognized institution/ university or

		Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education, out of which at least two years as Senior Lecturer in Architecture of Government Polytechnic; and  (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
7	Head of Department in Automobile Engineering	By promotion- Two years experience as Senior Lecturer in Automobile Engineering of Government Polytechnics; OR Eight years combined experience as Senior Lecturer and
		Lecturer in Automobile Engineering of Government Polytechnics.
		By transfer or deputation-
		(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Automobile with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ Institution;  OR
		Bachelors of Engineering or Technology degree in Mechanical with Automobile Engineering as one of the subject and Masters of Engineering or Technology degree in Automobile with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution;
		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;
		OR
		Eight years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Automobile Engineering in a recognized institution/university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education, out of which at least two years as Senior Lecturer in Automobile Engineering of Government Polytechnic; and
		(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or
		Higher Education.
8	Head of	By promotion-
	Department in Ceramic Engineering	Two years experience as Senior Lecturer in Ceramic Engineering of Government Polytechnics;  OR
		Eight years combined experience as Senior Lecturer and Lecturer in Ceramic Engineering of Government Polytechnics.
		By transfer or deputation-
		(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Ceramic with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution;

		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;  OR  Eight years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Ceramic Engineering in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education, out of which at least two years as Senior Lecturer in Ceramic Engineering of Government Polytechnic; and  (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
9	Head of Department in Chemical Engineering	By promotion- Two years experience as Senior Lecturer in Chemical Engineering of Government Polytechnics; OR Eight years combined experience as Senior Lecturer and Lecturer in Chemical Engineering of Government Polytechnics.
		By transfer or deputation-  (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Chemical with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution;
		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;
		OR  Eight years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Chemical Engineering in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education, out of which at least two years as Senior Lecturer in Chemical Engineering of Government Polytechnic; and
		(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
10	Head of Department in Civil Engineering	By promotion- Two years experience as Senior Lecturer in Civil Engineering of Government Polytechnics; OR Eight years combined experience as Senior Lecturer and Lecturer in Civil Engineering of Government Polytechnics. By transfer or deputation- (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Civil with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution;

		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;  OR  Eight years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Civil Engineering in a recognized institution/ university or Government/Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education, out of which at least two years as Senior Lecturer in Civil Engineering of Government Polytechnic; and  (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
11	Head of Department in Computer Engineering	By promotion- Two years experience as Senior Lecturer in Computer Engineering of Government Polytechnics;  OR Eight years combined experience as Senior Lecturer and Lecturer /Programmer in Computer Engineering of Government Polytechnics.  By transfer or deputation-  (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Computer or Computer Science & Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution;  (ii) Holding analogous post with three years regular experience;  OR  Eight years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Computer Engineering in a recognized institution/university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education, out of which at least two years as Senior Lecturer in Computer Engineering of Government Polytechnic; and  (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
12	Head of Department in Electronics and Communication Engineering	By promotion- Two years experience as Senior Lecturer in Electronics & Communication Engineering of Government Polytechnics; OR Eight years combined experience as Senior Lecturer and Lecturer in Electronics and Communication Engineering of Government Polytechnics.  By transfer or deputation-  (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Electronics and Communication Engineering or Electronics Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution;

		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;  OR  Eight years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Electronics and Communication Engineering in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education, out of which at least two years as Senior Lecturer in Electronics and Communication Engineering of a Govt. Polytechnic; and  (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
13	Head of Department in Electrical Engineering	By promotion- Two years experience as Senior Lecturer in Electrical Engineering of Government Polytechnics;  OR  Eight years combined experience as Senior Lecturer and Lecturer in Electrical Engineering of Government Polytechnics.  By transfer or deputation-  (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Electrical with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution;  (ii) Holding analogous post with three years regular experience;  OR  Eight years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Electrical Engineering in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education, out of which at least two years as Senior Lecturer in Electrical Engineering of Government Polytechnic; and  (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
14	Head of Department in Fashion Design	By promotion- Two years experience as Senior Lecturer in Fashion Design of Government Polytechnics;  OR  Eight years combined experience as Senior Lecturer and Lecturer in Fashion Design of Government Polytechnics.  By transfer or deputation-  (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Fashion Technology/ Fashion Design/Garment Technology/ Fashion and Apparel Design/Apparel Engineering with First Class either in

		Bachelors or Masters degree from a recognized university / Institution;
		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;
		OR
		Eight years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Fashion Design in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education, out of which at least two years as Senior Lecturer in Fashion Design of Government Polytechnic; and
		(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
15	Head of	By promotion-
	Department in Fashion Technology	Two years experience as Senior Lecturer in Fashion Technology of Government Polytechnics;
	recimology	OR
		Eight years combined experience as Senior Lecturer and Lecturer in Fashion Technology of Government Polytechnics.
		By transfer or deputation-
		(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Fashion Technology/ Fashion Design/ Garment Technology/ Fashion and Apparel Design/Apparel Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university / institution;
		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;
		OR
		Eight years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Fashion Technology in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education, out of which at least two years as Senior Lecturer in Fashion Technology of Government Polytechnic; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
16	Head of	
10	Department in Food Technology	By promotion- Two years experience as Senior Lecturer in Food Technology of Government Polytechnics; OR
		Eight years combined experience as Senior Lecturer and Lecturer in Food Technology of Government Polytechnics.
		By transfer or deputation-
		(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Food Technology/ Food Science and Technology/ Food Processing and Technology with

17	Head of Department in Instrumentation and Control Engineering	First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university / institution;  OR  First Class Master of Science Degree in Food Technology/ Food Science and Technology/ Food Processing and Technology with NET/Ph.D in the subject of Food Technology/Food Science and Technology Food Processing and Technology from a recognized university/ institution;  (ii) Holding analogous post with three years regular experience;  OR  Eight years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Food Technology in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education, out of which at least two years as Senior Lecturer in Food Technology of Government Polytechnic; and  (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.  By promotion:-  Two years experience as Senior Lecturer in Instrumentation and Control Engineering of Government Polytechnics;  OR
		Eight years combined experience as Senior Lecturer and Lecturer in Instrumentation and Control Engineering of Government Polytechnics.  By transfer or deputation—  (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Instrumentation and Control Engineering/ Electronics and Instrumentation
		Lecturer in Instrumentation and Control Engineering of Government Polytechnics.  By transfer or deputation-  (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Instrumentation and Control Engineering/ Electronics and Instrumentation Electronics/ Applied Electronics and Instrumentation Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution;
		Lecturer in Instrumentation and Control Engineering of Government Polytechnics.  By transfer or deputation-  (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Instrumentation and Control Engineering/ Electronics and Instrumentation Electronics/ Applied Electronics and Instrumentation Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution;  (ii) Holding analogous post with three years regular experience;
		Lecturer in Instrumentation and Control Engineering of Government Polytechnics.  By transfer or deputation-  (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Instrumentation and Control Engineering/ Electronics and Instrumentation Electronics/ Applied Electronics and Instrumentation Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution;  (ii) Holding analogous post with three years regular experience;  OR
		Lecturer in Instrumentation and Control Engineering of Government Polytechnics.  By transfer or deputation-  (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Instrumentation and Control Engineering/ Electronics and Instrumentation Electronics/ Applied Electronics and Instrumentation Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution;  (ii) Holding analogous post with three years regular experience;

18	Head of	By promotion-
	Department in Mechanical	Two years experience as Senior Lecturer in Mechanical Engineering of Government Polytechnics;
	Engineering	OR
		Eight years combined experience as Senior Lecturer and Lecturer in Mechanical Engineering of Government Polytechnics.
		By transfer or deputation-
		(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Mechanical/ Production with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution;
		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;
		OR
		Eight years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Mechanical Engineering in a recognized institution/university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education, out of which at least two years as Senior Lecturer in Mechanical Engineering of Government Polytechnic; and
		(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
19	Head of	By promotion-
19	Department in Medical	By promotion- Two years experience as Senior Lecturer in Medical Electronics of Government Polytechnics;
19	Department in	Two years experience as Senior Lecturer in Medical
19	Department in Medical	Two years experience as Senior Lecturer in Medical Electronics of Government Polytechnics;
19	Department in Medical	Two years experience as Senior Lecturer in Medical Electronics of Government Polytechnics;  OR  Eight years combined experience as Senior Lecturer and Lecturer in Medical Electronics of Government Polytechnics.
19	Department in Medical	Two years experience as Senior Lecturer in Medical Electronics of Government Polytechnics;  OR  Eight years combined experience as Senior Lecturer and Lecturer in Medical Electronics of Government Polytechnics.  By transfer or deputation-  (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Medical Electronics/ Biomedical Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution;  (ii) Holding analogous post with three years regular
19	Department in Medical	Two years experience as Senior Lecturer in Medical Electronics of Government Polytechnics;  OR  Eight years combined experience as Senior Lecturer and Lecturer in Medical Electronics of Government Polytechnics.  By transfer or deputation-  (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Medical Electronics/Biomedical Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution;  (ii) Holding analogous post with three years regular experience;
19	Department in Medical	Two years experience as Senior Lecturer in Medical Electronics of Government Polytechnics;  OR  Eight years combined experience as Senior Lecturer and Lecturer in Medical Electronics of Government Polytechnics.  By transfer or deputation-  (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Medical Electronics/Biomedical Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution;  (ii) Holding analogous post with three years regular experience;  OR
19	Department in Medical	Two years experience as Senior Lecturer in Medical Electronics of Government Polytechnics;  OR  Eight years combined experience as Senior Lecturer and Lecturer in Medical Electronics of Government Polytechnics.  By transfer or deputation-  (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Medical Electronics/ Biomedical Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution;  (ii) Holding analogous post with three years regular experience;

20	Head of	By promotion-
	Department in Medical Laboratory	Two years experience as Senior Lecturer in Medical Laboratory Technology of Government Polytechnics;
	Technology	OR
	3	Eight years combined experience as Senior Lecturer and Lecturer in Medical Laboratory Technology of Government Polytechnics.
		By transfer or deputation-
		(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Medical Laboratory Technology/ Biomedical Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution;
		OR
		First Class Master of Science Degree in Medical Laboratory Technology with NET/Ph.D in the subject of Medical Laboratory Technology from a recognized university/ institution;
		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;
		OR
		Eight years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Medical Laboratory Technology in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education, out of which at least two years as Senior Lecturer in Medical Laboratory Technology of Government Polytechnic; and
		(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
21	Head of	By promotion-
	Department in Plastic Technology	Two years experience as Senior Lecturer in Plastic Technology of Government Polytechnics;
	recimology	OR
		Eight years combined experience as Senior Lecturer and Lecturer in Plastic Technology of Government Polytechnics.
		By transfer or deputation-
		(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Plastic Technology with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution;
		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;
		OR
		Eight years full time teaching experience after regular appointment on post of Lecturer in Plastic Technology in a recognized institution/ university or

		Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education, out of which at least two years as Senior Lecturer in Plastic Technology of Government Polytechnic; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
22	Head of Department in Textile Design	By promotion- Two years experience as Senior Lecturer in Textile Design of Government Polytechnics; OR Eight years combined experience as Senior Lecturer and
		Lecturer in Textile Design of Government Polytechnics.
		By transfer or deputation-
		<ul> <li>(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Textile Design with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution.</li> </ul>
		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;
		OR
		Eight years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Textile Design in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education, out of which at least two years as Senior Lecturer in Textile Design of Government Polytechnic; and
		(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
23	Head of	By promotion-
	Department in Textile Processing	Two years experience as Senior Lecturer in Textile Processing of Government Polytechnics;  OR
		Eight years combined experience as Senior Lecturer and Lecturer in Textile Processing of Government Polytechnics.
		By transfer or deputation-
		(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Textile Processing/ Textile Chemistry, with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ Institution;
		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;
		OR
		Eight years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Textile Processing in a recognized institution/university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical

		Education, out of which at least two years as Senior Lecturer in Textile Processing of Government Polytechnic; and  (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
24	Head of Department in Textile Technology	By promotion- Two years experience as Senior Lecturer in Textile Technology of Government Polytechnics; OR Eight years combined experience as Senior Lecturer and Lecturer in Textile Technology of Government Polytechnics.
		By transfer or deputation-
		(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Textile Technology with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution;
		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;
		OR
		Eight years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Textile Technology in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education, out of which at least two years as Senior Lecturer in Textile Technology of Government Polytechnic; and
		(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
25	Head of Department in Applied Sciences	By promotion- Two years experience as Senior Lecturer in Applied Sciences of Government Polytechnics;  OR
		Eight years combined experience as Senior Lecturer and Lecturer in Applied Sciences of Government Polytechnics.
		By transfer or deputation-
		(i) First Class Master of Science (Physics/ Chemistry/ Math)/ Arts (English) Degree with NET/Ph.D, in relevant Subject of Applied Sciences (Physics/ Chemistry/ Math/English) from a recognized university/ institution;
		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;
		OR  Eight years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Applied Sciences in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education, out of which at least two years as Senior Lecturer in Applied Sciences of Government Polytechnic; and

		(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
26	Head of Department in Business Management	By promotion- Two years experience as Senior Lecturer in Business Management of Government Polytechnics; OR
		Eight years combined experience as Senior Lecturer and Lecturer in Business Management of Government Polytechnics.
		By transfer or deputation-
		(i) First Class Masters Degree in Business Management/ Business Administration, with NET/Ph.D in the subject of Business Management/ Business Administration from a recognized university / institution;
		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;  OR
		Eight years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Business Management in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education, out of which at least two years as Senior Lecturer in Business Management of Government Polytechnic; and
		(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
27	Head of Department in Finance Accounts and Audit	By promotion- Two years experience as Senior Lecturer in Finance Accounts and Auditing of Government Polytechnics; OR
		Eight years combined experience as Senior Lecturer and Lecturer in Finance Accounts and Audit of Government Polytechnics.
		By transfer or deputation-  (i) First Class Masters Degree in Commerce/ Business Administration (Finance), with NET/Ph.D in the subject of Commerce/ Business Administration (Finance) from a recognized university / institution;  (ii) Holding analogous post with three years regular
		experience; OR
		Eight years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Finance Accounts and Audit in a recognized institution/university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education, out of which at least two years as Senior Lecturer in Finance Accounts and Audit of Government Polytechnic; and

		(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
28	Head of	By promotion-
	Department in Library Science	Two years experience as Senior Lecturer in Library Science of Government Polytechnics;
		OR
		Eight years combined experience as Senior Lecturer and Lecturer in Library Science of Government Polytechnics.
		By transfer or deputation-
		(i) First Class Masters Degree in Library Science/ Library and Information Science, with NET/Ph.D in the subject of Library Science/ Library and Information Science from a recognized university/ institution;
		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;
		OR
		Eight years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Library Science in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education, out of which at least two years as Senior Lecturer in Library Science of Government Polytechnic; and
		(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
29	Head of	By promotion-
	Department in Office Management and	Two years experience as Senior Lecturer in Office Management and Computer Application of Government Polytechnics;
	Computer Application	OR
	присанон	Eight years combined experience as Senior Lecturer and Lecturer in Office Management and Computer Application of Government Polytechnics.
		By transfer or deputation-
		(i) First Class Masters Degree in Commerce/ Business Management or Business Administration, with NET/Ph.D in the subject of Commerce/ Business Management or Business Administration from a recognized university/ institution;
		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;
		OR
		Eight years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Office Management and Computer Application in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education, out of which at least two years as Senior Lecturer in Office Management

		and Computer Application of Government Polytechnic; and
		(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
30	Head of	By promotion-
	Department in Pharmacy	Two years experience as Senior Lecturer in Pharmacy of Government Polytechnics;
		OR
		Eight years combined experience as Senior Lecturer and Lecturer in Pharmacy of Government Polytechnics.
		By transfer or deputation-
		(i) Bachelors and Masters Degree in Pharmacy with First Class either in Bachelors or Masters Degree from a recognized university/ institution;
		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;
		OR
		Eight years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Pharmacy in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education, out of which at least two years as Senior Lecturer in Pharmacy of Government Polytechnic; and
		(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
31	Joint Director	By transfer-
		Three years experience on Group 'A' post holding analogous pay scale of the post of Joint Director, in Government Polytechnic.
32	Senior Lecturer	By promotion-
	in Agriculture Engineering	Six years experience as Lecturer in Agriculture Engineering of Government Polytechnics.
		By transfer or deputation-
		(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Agriculture with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution;
		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;
		OR
		Six years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Agriculture Engineering in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education; and
		(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.

33	Senior Lecturer	By promotion-
	in Architecture	Six years experience as Lecturer in Architecture of Government Polytechnics.
		By transfer or deputation-
		(i) Bachelors and Masters degree in Architecture with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution;
		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;
		OR
		Six years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Architecture in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education; and
		(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
34	Senior Lecturer	By promotion-
	in Automobile Engineering	Six years experience as Lecturer in Automobile Engineering of Government Polytechnics.
		By transfer or deputation-
		(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Automobile with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university / institution;
		OR  Bachelors of Engineering or Technology degree in Mechanical with Automobile Engineering as one of the subject and Masters of Engineering or Technology degree in Automobile with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution;  (ii) Holding analogous post with three years regular experience;
		OR Six years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Automobile Engineering in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
35	Senior Lecturer	By promotion-
	in Ceramic Engineering	Six years experience as Lecturer in Ceramic Engineering of Government Polytechnics.
		By transfer or deputation-
		(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Ceramic with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution;

		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;  OR  Six years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Ceramic Engineering in a recognized institution/ university or Government/Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education; and  (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
36	Senior Lecturer in Chemical Engineering	By promotion- Six years experience as Lecturer in Chemical Engineering of Government Polytechnics.  By transfer or deputation-  (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Chemical with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution;  (ii) Holding analogous post with three years regular experience;  OR  Six years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Chemical Engineering in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education; and  (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
37	Senior Lecturer in Civil Engineering	By promotion- Six years experience as Lecturer in Civil Engineering of Government Polytechnics.  By transfer or deputation-  (i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Civil with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution;  (ii) Holding analogous post with three years regular experience;  OR  Six years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Civil Engineering in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education; and  (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
38	Senior Lecturer in Computer Engineering	By promotion- Six years experience as Lecturer in Computer Engineering/ Programmer of Government Polytechnics.

		By transfer or deputation-
		(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Computer or Computer Science and Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/institution;
		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;
		OR
		Six years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Computer Engineering in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education; and
		(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
39	Senior Lecturer	By promotion-
	in Electronics and Communication	Six years experience as Lecturer in Electronics and Communication Engineering of Government Polytechnics.
	Engineering	By transfer or deputation-
		(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Electronics and Communication Engineering or Electronics Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution;
		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;
		OR
		Six years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Electronics and Communication Engineering in a recognized institution / university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education; and  (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
40	Senior Lecturer	By promotion-
	in Electrical Engineering	Six years experience as Lecturer in Electrical Engineering of Government Polytechnics.
		By transfer or deputation-
		(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Electrical with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution;
		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;
		OR
		Six years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Electrical Engineering in a recognized institution/ university or

		Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education; and  (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
41	Senior Lecturer	By promotion-
	in Fashion Design	Six years experience as Lecturer in Fashion Design of Government Polytechnics.
		By transfer or deputation-
		(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Fashion Technology/ Fashion Design/Garment Technology/ Fashion and Apparel Design/Apparel Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university / institution;
		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;
		OR
		Six years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Fashion Design in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education; and  (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or
		Higher Education.
42	Senior Lecturer	By promotion-
	in Fashion Technology	Six years experience as Lecturer in Fashion Technology of Government Polytechnics.
		By transfer or deputation-
		(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Fashion Technology/ Fashion Design/ Garment Technology / Fashion and Apparel Design/Apparel Engineering with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university / institution;
		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;
		OR
		Six years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Fashion Technology in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education; and
		(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
43	Senior Lecturer	By promotion-
	in Food Technology	Six years experience as Lecturer in Food Technology of Government Polytechnics.

		Ву	transfer or deputation-
		(i)	Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Food Technology/ Food Science and Technology/ Food Processing and Technology with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university / institution;  OR
			First Class Master of Science Degree in Food Technology/ Food Science and Technology/ Food Processing and Technology with NET/Ph.D in the subject of Food Technology/ Food Science and Technology/ Food Processing and Technology from a recognized university/ institution;
		(ii)	experience;
			OR Six years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Food Technology in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education; and
		(iii)	) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
44	Senior Lecturer in Instrumentation and Control Engineering	Six Co. By (i)	experience;  OR  Six years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Instrumentation and Control Engineering in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education; and  Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
45	Senior Lecturer in Mechanical Engineering	Six Eng	promotion- a years experience as Lecturer in Mechanical gineering of Government Polytechnics.  transfer or deputation- Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Mechanical/ Production with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution;

	1		
		(ii) Holding analo experience;	gous post with three years regular
			OR
		appointment of Engineering in Government/ affiliated to Sta	te Board of Technical Education; and crit as one of the subject in Matric or
46	Senior Lecturer	By promotion-	
	in Medical Electronics	* -	e as Lecturer in Medical Electronics of chnics.
		By transfer or depu	itation-
		degree in Engineering w	Masters of Engineering or Technology Medical Electronics/Biomedical ith First Class either in Bachelors or ee from a recognized university/
		(ii) Holding analo experience;	gous post with three years regular
			OR
		appointment of Electronics in Government/	time teaching experience after regular on the post of Lecturer in Medical a recognized institution/ university or Government Aided Polytechnic te Board of Technical Education; and
		(iii) Hindi or Sansk Higher Educati	crit as one of the subject in Matric or on.
47	Senior Lecturer	By promotion-	
	in Medical Laboratory		ee as Lecturer in Medical Laboratory ernment Polytechnics.
	Technology	By transfer or depu	itation-
		degree in Biomedical Er	
			OR
		Laboratory Tec	aster of Science Degree in Medical chnology with NET/Ph.D in the subject coratory Technology from a recognized itution;
		(ii) Holding analo experience;	gous post with three years regular
			Or
		appointment of Laboratory Te	time teaching experience after regular on the post of Lecturer in Medical chnology in a recognized institution/ Government/ Government Aided

		Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education; and
		(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
48	Senior Lecturer in Plastic Technology	By promotion- Six years experience as Lecturer in Plastic Technology of Government Polytechnics.
		By transfer or deputation-
		(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Plastic Technology with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution;
		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;
		OR
		Six years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Plastic Technology in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education; and
		(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
49	Senior Lecturer	By promotion-
	in Textile Design	Six years experience as Lecturer in Textile Design of Government Polytechnics.
		By transfer or deputation-
		(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Textile Design with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution;
		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;
		Or
		Six years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Textile Design in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education; and  (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
50	Senior Lecturer	By promotion-
	in Textile Processing	Six years experience as Lecturer in Textile Processing of Government Polytechnics.
		By transfer or deputation-
		(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Textile Processing/ Textile Chemistry with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution;
		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;

		OR
		Six years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Textile Processing in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education; and  (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
51	Senior Lecturer	By promotion-
	in Textile Technology	Six years experience as Lecturer in Textile Technology of Government Polytechnics.
		By transfer or deputation-
		(i) Bachelors and Masters of Engineering or Technology degree in Textile Technology with First Class either in Bachelors or Masters degree from a recognized university/ institution;
		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;  OR
		Six years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Textile Technology in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
52	Senior Lecturer	By promotion-
	in Applied Sciences	Six years experience as Lecturer in Applied Sciences of Government Polytechnics.
		By transfer or deputation-
		(i) First Class Master of Science (Physics/ Chemistry/ Math)/ Arts (English) Degree with NET/Ph.D, in relevant Subject of Applied Sciences (Physics/ Chemistry/ Math/ English) from a recognized university/ institution;
		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;
		Or
		Six years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Applied Science in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education; and
		(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
53	Senior Lecturer	By promotion-
	in Business Management	Six years experience as Lecturer in Business Management of Government Polytechnics.

		By transfer or deputation-
		<ul> <li>(i) First Class Masters Degree in Business Management/ Business Administration with NET/Ph.D in the subject of Business Management/ Business Administration from a recognized university / institution;</li> <li>(ii) Holding analogous post with three years regular experience;</li> <li>OR</li> </ul>
		Six years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Business Management in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education; and
		(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
54	Senior Lecturer in Finance Accounts and	By promotion- Six years experience as Lecturer in Finance Accounts and Audit of Government Polytechnics.
	Audit	By transfer or deputation-
		<ul> <li>(i) First Class Masters Degree in Commerce/ Business Administration (Finance) with NET/Ph.D in the subject of Commerce/ Business Administration (Finance) from a recognized university / institution;</li> <li>(ii) Holding analogous post with three years regular experience;</li> </ul>
		OR
		Six years full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Finance Accounts and Audit in a recognized institution/university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education; and
		(iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
55	Senior Lecturer	By promotion-
	in Library Science	Six years experience as Lecturer in Library Science of Government Polytechnics.
		By transfer or deputation-
		(i) First Class Masters Degree in Library Science/ Library and Information Science with NET/Ph.D in the subject of Library Science/ Library and Information Science from a recognized university/ institution;
		(ii) Holding analogous post with three years regular experience;
		OR
		Six years or above full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Library Science in a recognized institution/ university or

		Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education; and  (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
56	Senior Lecturer in Office Management and Computer Application	By promotion- Six years experience as Lecturer in Office Management and Computer Application of Government Polytechnics.  By transfer or deputation-  (i) First Class Masters Degree in Commerce/ Business Management or Business Administration with NET/Ph.D in the subject of Commerce/ Business Management or Business Administration from a recognized university/ institution;  (ii) Holding analogous post with three years regular experience;  OR  Six years or above full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Office Management and Computer Application in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education; and  (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
57	Senior Lecturer in Pharmacy	By promotion- Six years experience as Lecturer in Pharmacy of Government Polytechnics.  By transfer or deputation-  (i) Bachelors and Masters Degree in Pharmacy with First Class either in Bachelors or Masters Degree from a recognized university/ institution;  (ii) Holding analogous post with three years regular experience;  OR  Six years or above full time teaching experience after regular appointment on the post of Lecturer in Pharmacy in a recognized institution/ university or Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education; and  (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
58	Workshop Superintendent	By promotion- Eight years experience as Foreman Instructor of Government Polytechnics.  By transfer or deputation- (i) Bachelors of Engineering or Technology degree in Mechanical/ Automobile/ Production with First Class from a recognized university/ institution; (ii) Holding analogous post with three years regular experience;  OR  Eight years or above experience after regular appointment on the post of Foreman Instructor in a

recognized institution/ university or of a Government/ Government Aided Polytechnic affiliated to State Board of Technical Education; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or
Higher Education.

## Note:

- 1. "Experience" The term 'Experience' for the purpose of promotion as used herein shall mean the service rendered in the Department of Technical Education, Haryana after regular appointment on the post.
- 2. "Higher qualification" means the qualification acquired by any of teaching faculty member or by any member of service, higher than that of the essential minimum academic qualifications prescribed for the post, against which he was appointed initially, in the same line. If, a person appointed initially on the post with qualification higher than essential minimum academic qualification for the post, higher qualification in this case means next higher qualification in the same line.
- **3.** "Academic Qualification" Academic qualification, unless otherwise specifically provided in these rules, shall means a UG/PG Degree acquired through regular mode of study from a recognized university/institute.
- 4. A candidate possesses higher qualification in the same line as prescribed in the minimum academic qualifications applicable to a particular post then he should be considered as eligible of that post.

**Appendix C** [see rule 14 (1)]

Serial Number	Designation of posts	Appointing Authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty
1	2	3	4	5
1	Director	Government	(I) Minor Penalties-	Government
2	Additional Director		A '1 1' 41 TT	
3	Principal		As prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and	
4	Vice-Principal cum Training and Placement Officer		Appeal) Rules, 2016.	
5	Head of Department in Agriculture Engineering		(II) Major Penalties-	
6	Head of Department in Architecture		As prescribed in the Haryana Civil Services (Punishment and	
7	Head of Department in Automobile Engineering		Appeal) Rules, 2016.	
8	Head of Department in Ceramic Engineering.			
9	Head of Department in Chemical Engineering			
10	Head of Department in Civil Engineering			
11	Head of Department in Computer Engineering			
12	Head of Department in Electronics and Communication Engineering			
13	Head of Department in Electrical Engineering			
14	Head of Department in Fashion Design.			
15	Head of Department in Fashion Technology			
16	Head of Department in Food Technology.			
17	Head of Department in Instrumentation and Control Engineering.			
18	Head of Department in Mechanical Engineering			
19	Head of Department in Medical Electronics			
20	Head of Department in Medical Laboratory Technology			

Serial Number	Designation of posts	Appointing Authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty
1	2	3	4	5
21	Head of Department in Plastic Technology			
22	Head of Department in Textile Design			
23	Head of Department in Textile Processing			
24	Head of Department in Textile Technology			
25	Head of Department in Applied Sciences			
26	Head of Department in Business Management			
27	Head of Department in Finance Accounts and Auditing			
28	Head of Department in Library Science			
29	Head of Department in Office Management and Computer Application			
30	Head of Department in Pharmacy			
31	Joint Director			
32	Senior Lecturer in Agriculture Engineering			
33	Senior Lecturer in Architecture			
34	Senior Lecturer in Automobile Engineering			
35	Senior Lecturer in Ceramic Engineering			
36	Senior Lecturer in Chemical Engineering			
37	Senior Lecturer in Civil Engineering			
38	Senior Lecturer in Computer Engineering			
39	Senior Lecturer in Electronics and Communication Engineering			
40	Senior Lecturer in Electrical Engineering			
41	Senior Lecturer in Fashion Design			

Serial Number	Designation of posts	Appointing Authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty
1	2	3	4	5
42	Senior Lecturer in Fashion Technology			
43	Senior Lecturer in Food Technology			
44	Senior Lecturer in Instrumentation and Control Engineering			
45	Senior Lecturer in Mechanical Engineering			
46	Senior Lecturer in Medical Electronics			
47	Senior Lecturer in Medical Laboratory Technology			
48	Senior Lecturer in Plastic Technology			
49	Senior Lecturer in Textile Design			
50	Senior Lecturer in Textile Processing			
51	Senior Lecturer in Textile Technology			
52	Senior Lecturer in Applied Sciences			
53	Senior Lecturer in Business Management			
54	Senior Lecturer in Finance Accounts and Audit			
55	Senior Lecturer in Library Science			
56	Senior Lecturer in Office Management and Computer Application			
57	Senior Lecturer in Pharmacy			
58	Workshop Superintendent			

**Appendix D** [see rule 14(2)]

Serial Number	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make order
1	2	3	4
1	Director	(i) Reducing or with-holding the amount of	Government
2	Additional Director	ordinary / additional pension admissible under the rules governing pension;	
3	Principal	(ii) Terminating the appointment of a member	
4	Vice-Principal cum Training and Placement Officer	of the Service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	
5	Head of Department in Agriculture Engineering		
6	Head of Department in Architecture		
7	Head of Department in Automobile Engineering		
8	Head of Department in Ceramic Engineering.		
9	Head of Department in Chemical Engineering		
10	Head of Department in Civil Engineering		
11	Head of Department in Computer Engineering		
12	Head of Department in Electronics and Communication Engineering		
13	Head of Department in Electrical Engineering		
14	Head of Department in Fashion Design.		
15	Head of Department in Fashion Technology		
16	Head of Department in Food Technology.		
17	Head of Department in Instrumentation and Control Engineering.		
18	Head of Department in Mechanical Engineering		
19	Head of Department in Medical Electronics		
20	Head of Department in Medical Laboratory Technology		

Serial	Designation of posts	Nature of order	Authority
Number	8 r		empowered
			to make order
1	2	3	4
21	Head of Department in Plastic Technology		
22	Head of Department in Textile Design		
23	Head of Department in Textile Processing		
24	Head of Department in Textile Technology		
25	Head of Department in Applied Sciences		
26	Head of Department in Business Management		
27	Head of Department in Finance Accounts and Auditing		
28	Head of Department in Library Science		
29	Head of Department in Office Management and Computer Application		
30	Head of Department in Pharmacy		
31	Joint Director		
32	Senior Lecturer in Agriculture Engineering		
33	Senior Lecturer in Architecture		
34	Senior Lecturer in Automobile Engineering		
35	Senior Lecturer in Ceramic Engineering		
36	Senior Lecturer in Chemical Engineering		
37	Senior Lecturer in Civil Engineering		
38	Senior Lecturer in Computer Engineering		
39	Senior Lecturer in Electronics and Communication Engineering		
40	Senior Lecturer in Electrical Engineering		
41	Senior Lecturer in Fashion Design		
42	Senior Lecturer in Fashion Technology		

Serial Number	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make order
1	2	3	4
43	Senior Lecturer in Food Technology		
44	Senior Lecturer in Instrumentation and Control Engineering		
45	Senior Lecturer in Mechanical Engineering		
46	Senior Lecturer in Medical Electronics		
47	Senior Lecturer in Medical Laboratory Technology		
48	Senior Lecturer in Plastic Technology		
49	Senior Lecturer in Textile Design		
50	Senior Lecturer in Textile Processing		
51	Senior Lecturer in Textile Technology		
52	Senior Lecturer in Applied Sciences		
53	Senior Lecturer in Business Management		
54	Senior Lecturer in Finance Accounts and Audit		
55	Senior Lecturer in Library Science		
56	Senior Lecturer in Office Management and Computer Application		
57	Senior Lecturer in Pharmacy		
58	Workshop Superintendent		

ANKUR GUPTA, Principal Secretary to Government, Haryana, Technical Education Department.